Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:–249193
दूरभाष:–+917895754011, 9412139791
ई–मेल :–Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या–254 / 2024 दिनांक:– 11.03.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जगतराम प्रसाद पुत्र श्री महेश्वर प्रसाद, ग्राम लौंथरु पो0 मनेरी उत्तरकाशी। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी। विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री जगतराम प्रसाद पुत्र श्री महेश्वर प्रसाद, ग्राम लौंथरु पो0 मनेरी उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक–20/01/2025 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यू0के21104015061 पर विद्युत बिल खपत की अपेक्षा अधिक निर्गत किए जा रहे हैं जबकि विद्युत खपत बहुत कम है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन पर निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रुप में दर्ज करते हुए पत्रांक 174/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 22.01.2025 के माध्यम से विपक्षी/विभाग को नोटिस भेजा गया और दिनांक 27.01.2025 की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों के साथ आख्या पेश करने के निर्देष दिए। दिनांक 27.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग की आख्या अप्राप्त न्यायहित में अगली सुनवाई के दौरान संपूर्ण जानकारी के साथ आख्या प्रस्तुत करने के निर्देष दिए गए। आज नियत तिथि दिनांक 30.01.2025 को विपक्षी ने अपने पत्रांक 903/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 29.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की जिसमें अवगत कराया गया कि कन्ज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन माह 06/2005 में निर्गत किया गया था, जिसमें माह 06/2005 से माह 02/2013 तक सम्पूर्ण बिल आई0डी0एफ पर निर्गत किए गए। इसके पश्चात् दिनांक 03.03.2013 में उपभोक्ता के परिसर पर नया मीटर

Kirti Prasad
11/03/25

क्रमशः 2............

Bhatt
11/03/25

स्थापित किया गया था। वर्तमान तक सम्पूर्ण बिल रीडिंग के आधार पर दिए जा रहे हैं। उपभोक्ता का माह 06 / 2005 से 04 / 2013 तक के सभी आई0डी0एफ बिलों को संशोधित किये गये जिसमें उपभोक्ता के बिल में रु0 28920.00 (रुपये अट्ठाईस हजार नौ सौ बीस) की धनराशि का समायोजन किया गया। पुनः माह 04 / 2023 में बिल संशोधित किया गया जिसकी संशोधित धनराशि रु0 29847.00 (उन्तीस हजार आठ सौ सैंतालीस) थी। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 05.09.2024 में मात्र 15000.00 (पंद्रह हजार) जमा किये गये जबकि वर्तमान में उपभोक्ता पर रु0 28153.00 (अट्ठाईस हजार एक सौ त्रेपन) का बकाया है।

उभय पक्षों को सुना गया। मंच द्वारा बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता को दिनांक 18.02.2008 से 18.02.2013 तक आई0डी0एफ के बिल निर्गत हुए हैं और आयोग द्वारा जारी विनियमों के अनुसार दो बिलिंग चक्र से अधिक आई0डी0एफ बिल उपभोक्ता को जारी नहीं किये जा सकते हैं। विभाग द्वारा यहां माननीय आयोग के विनियमों का उल्लघंन किया गया है। अतः विपक्षी / विभाग उक्त अवधि के बिलों को संशोधित करे और संशोधित किए गए बिलों में कोई विलंब षुल्क अधिभार देय नहीं होगा। इसके अलावा विपक्षी / विभाग द्वारा दिनांक 17.02.2017 को उपभोक्ता के बिल में रु0 28920.00 (अट्ठाईस हजार नौ सौ बीस) का समायोजन कन्ज्यूमर हिस्ट्री में अंकित है। अतः मंच का मत है कि विनियमों के आधार पर दिनांक 18.02.2008 और 24.04.2008 का बिल उपभोक्ता के पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधित करें और दिनांक 18.02.2008 के उपरान्त 18.02.2013 तक के बिलों को निरस्त करने योग्य है। निरस्त किए गए बिलों में किसी भी प्रकार विलम्ब षुल्क अधिभार देय नहीं होगा।

यह आदेश पारित करने हेतु *उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2007*, **UERC (The Electiricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Rgulation,** 2020 और विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 में और टैरिफ आदेश के अनुसार दिए गए हैं जो कि नीचे वर्णित हैं–

1. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2007, के 3.2 (त्रुटिपूर्ण / अटके हुए / रुके हुए / जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में बिलिंग) का उल्लंघन है। उक्त विनियम में यह स्पष्ट रुप से विनिर्दिष्ट है कि उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक एन0आर0 / आर0डी0एफ / आई0डी0एफ के बिल प्रेषित नहीं किए जा सकते हैं।

2. **UERC (The Electiricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Rgulation, 2020 के 5.1.4 Meter not recording**

(1) ***If the meter is not displaying/not recording/stuck as reported by the consumer the Licensee shall check the meter within 30 days of receipt of complaint and if found not displaying/not recording/stuck or identified as defective (IDF), the meter shall be replaced by the Licensee within 15 days thereafter.***

(2) ***Where the Licensee observes that current reading is lower than the previous reading (RDF), which is possibly due to current reading being less than actual, or previous reading be higher than actual or old meter having been replaced with new meter. Licensee shall investigate the matter within 30 days and meters found defective shall be replaced within 15 days else correction shall be made in the data base to set his record straight.***

3- UERC (The Electiricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Rgulation, 2020 के 5.1.7 *Billing during the period defective/stuck/stopped/burnt meter remained at site or Stolen meter*

(1) ***The consumer shall be billed on the basis of the average consumption of the past three billing cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported***

क्रमशः/3............

Shutt 11/03/25

Kits Prasad 11/03/25

defective/stuck/stopped/burnt/stole. These Charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter.

<u>4- टैरिफ आदेश के अध्याय 08 दर अनुसूची (रेट शेड्यूल) –</u>

*त्रुटिपूर्ण मीटर (**ADF/IDF**), मीटर पहुंच नहीं/नहीं पढ़ा (**NA/NR**) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (**RDF**) के मामले में बिलिंगः–*

***NA/NR** मामलों में ऊर्जा उपभोग का निर्धारण तथा बिलिंग पिछले एक वर्ष के औसत उपभोग के अनुसार किया जाएगा (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार) जो कि वास्तविक रीडिंग लिए जाने पर समायोजन के अधीन होगा। ऐसी अंतिम रीडिंग एक बार में दो बिलिंग चक्रों से अधिक के लिए जारी नहीं रहेगी। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को अंतिम आधार पर कोई बिल जारी करने का अधिकार नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण प्रतीत अवस्था (**ADF**) त्रुटिपूर्ण मीटर (**IDF**) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (**RDF**) के मामलों में उपभोक्ताओं की बिलिंग, मीटर के त्रुटिपूर्ण पाये जाने या त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि से ठीक पहले के तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर की जायेगी (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार)। ये प्रभार केवल उस अधिकतम दो बिलिंग चक्रों हेतु यदि केवल द्विमासिक बिलिंग के मध्य हो, उद्ग्रहणीय होंगे, जिसमें अनुज्ञापी द्वारा त्रुटिपूर्ण मीटर बदला जाना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को सही किये गये मीटर के बिना बिल जारी करने का अधिकार नहीं है। त्रुटिपूर्ण मीटर के मामले यथा **IDF** तथा **ADF** तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग मामले तथा **RDF** की जांच व बदलने का कार्य, लागू विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुरुप अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा।*

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार परिवादी बिल संषोधित कर सही बिल निर्गत करें। साथ ही अनुपालन आख्या 30 कार्य दिवसों के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11/02/25
संतोष भटट
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

11/03/25
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिनः–249193
दूरभाषः–+917895754011, 9412139791
ई–मेल :–Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या–256 / 2024 दिनांकः– 25.03.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थितः श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती कुंती देवी पत्नी स्व श्री विशालमणी, ग्राम जिनेथ, पो पटारा, डुंडा, उत्तरकाशी । परिवादिनी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी। विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादिनी श्रीमती कुंती देवी पत्नी स्व श्री विशालमणी, ग्राम जिनेथ, पो पटारा, डुंडा, उत्तरकाशी ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष दिनांक 28.01.2025 को पत्र प्रेषित कर लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उनके स्व पति श्री विशालमणी के नाम दर्ज विद्युत कनेक्शन संख्या यूके14120416385 है। वह विधवा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। उन्होंने वर्ष 2021 में रुपये 8155.00 दिनांक 18.03.2024 में रुपये 5000.00 तथा 25.11.2024 में रुपये 12000.00 जमा कराने के पश्चात भी बिल की धनराशि रुपये 9617.00 आ रखी है, जो अधिक है। उन्होंने बिल सही करने तथा कनेक्शन उनके नाम करने का अनुरोध मंच से किया है।

मंच द्वारा परिवाद दर्ज कर अपने पत्रांक संख्या 177 / 2024 / वि0उ0शि0नि0मं उका दिनांक 28.01.2025 के मार्फत नोटिस जारी कर समस्त तथ्यात्मक विवरणों एवं आपत्तियों सहित अपना पक्ष दिनांक 18.02.2025 को मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। नियत तिथि को परिवाद की सुनवाई हुई। विपक्षी विभाग का जवाब अप्राप्त, विपक्षी को जवाब दावा प्रस्तुत करने के लिए एक और मौका दिया गया। प्रस्तुत मामले की सुनवाई 11.03.2025 को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी विभाग ने अपने पत्रांक 76 / वि0वि0उ0ख0चि के माध्यम से अवगत कराया कि परिवादी का अधिक विद्युत बिल संशोधित कर दिया है। वर्तमान में उपभोक्ता का विद्युत बिल जनवरी 2025 तक रुपये 1646.00 शेष है। सुनवाई के दौरान विपक्षी विभाग की तरफ से उपखण्ड अधिकारी ने मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी द्वारा पूर्व में जमा भुगतान भी बिल में समायोजित कर दिया है। इस पर मंच द्वारा विपक्षी की कार्यवाही से परिवादिनी को दूरभाष पर अवगत कराई गई। परिवादिनी विपक्षी की कार्यवाही से संतुष्ट है।

उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया। इस दौरान मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग ने परिवादिनी की अधिक बिल और भुगतान सम्बंधी समस्या का माननीय आयोग के विनियमों के तहत नियमानुसार निस्तारण कर दिया है। ऐसे में मंच का मत है कि परिवाद को आगे ले जाना उचित नहीं है। परिवाद स्वीकार कर निम्न आदेश दिया जाता है।

Kirti Prasad 25/03/25

25/3/25 25/03/2025

क्रमशः 2............

:: आदेश ::

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की अधिक बिल सम्बंधी समस्या का समाधान कर दिए जाने पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी परिवाद के अनुपालन में 30 दिनों के भीतर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।

25/03/25
(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

25/03/2025
(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य

25/03/25
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division, Uttarkashi – 249193 Ph:-+91 7895754011, 9412139791

E-mail:-cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी 249193

दूरभाषः-917895754011, 9412139791ई–मेल :–cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या:- 257/2024 दिनांक :- 25-03-2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य:

1. **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)**
2. **श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)**
3. **श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)**

श्री जगमोहन सिंह,पुत्र श्री कलम सिंह, ग्राम कुरोली पो० मुस्टिकसौड उत्तरकाशी **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियंता,विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी। **विपक्षी**

निर्णय

शिकायतकर्ता श्री जगमोहन सिंह, पुत्र श्री कलम सिंह, ग्राम कुरोली पो० मुस्टिकसौड उत्तरकाशी ने दिनांक 31.01.25 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी में शिकायती पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बिजली संयोजन संख्या UK21005009507 है, का विद्युत बिल IDF के आधार पर निर्गत किए गए हैं, और वर्ष 2017 से उपभोक्ता का विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया है। उपभोक्ता ने मंच से बिल के संशोधन करने का अनुरोध किया है।

मंच ने शिकायत को दिनांक 31.01.25 को पंजीकृत कर प्रतिवादी/विभाग को पत्रांक 178/ दिनांक 31.01.25 के माध्यम से नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें दिनांक 18.02.25 को मंच के समक्ष याचिकाकर्ता की शिकायत निवारण के लिए स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष को समस्त तथ्यात्मक विवरण एवं आपत्तियों सहित और समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया।

दिनांक 18.02.25 की सुनवाई के दौरान, **प्रतिवादी/विभाग** ने **पत्र संख्या 910, दिनांक** 17-02-2025 के माध्यम से मंच को सूचित किया कि **परिवादी** श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री कलम सिंह ग्राम कुरोली पो० मुस्टिकसौड जनपद उत्तरकाशी का विद्युत संयोजन UK21005009507 की Consumer history का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन दिनांक 01.05.1996 में निर्गत किया गया था, जिसमें उपभोक्ता के संपूर्ण बिल IDF पर निर्गत किए गए व

Kirti Prasad 25/03/25

25/03/25

25/02/2025

माह 01/2017 में बकाया धनराशि होने के कारण विद्युत संयोजन अस्थाई रूप से विच्छेदन कर दिया गया था।

प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन और विनियमों का विश्लेषण करने के पश्चात मंच का अवलोकन एवं निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :-

(i) मंच द्वारा **बिलिंग हिस्ट्री की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि उपभोक्ता को** दिनांक 17-01-2008 **से** दिनांक 06-06-2017 **तक** NR (Non-Reading) / RDF (Reading Defective) एवं **IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी किए गए थे।**

(ii) यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 और 2020) के अनुसार, दोषपूर्ण मीटर को प्रतिवादी द्वारा 15 दिनों के भीतर बदला जाना चाहिए था, लेकिन विभाग इसमें असफल रहा। इसके अलावा, दोषपूर्ण मीटर की अवधि के दौरान बिलिंग पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत पर आधारित होनी चाहिए थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी विभाग द्वारा लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक मीटर दोषपूर्ण होने की अवस्था में विभाग उपभोक्ता को बिल प्रेषित नहीं कर सकता है। शिकायतकर्ता को अनुमोदित दो बिलिंग चक्रों से अधिक समय के लिए गलत तरीके से बिल किया गया, और समय पर मीटर न बदलने के कारण निरंतर गलत गणना होती रही। विभाग द्वारा विनियमों का उल्लंघन किया गया है, अतः प्रतिवादी/विभाग को **यूईआरसी (UERC) द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार बिल में संशोधन किया जाना न्यायसंगत होगा।** साथ ही, **संशोधित किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या अतिरिक्त अधिभार लगाना भी अनुचित होगा।**

(iii) उपरोक्त विनियमों के अनुसार उपभोक्ता के दिनांक 17-01-2008 और दिनांक 19-03-2008 के बिलों को उपभोक्ता के पूर्व में निर्गत किए गए तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संसोधित करें और दिनांक 15-05-2008 **से** दिनांक दिनांक 06-06-2017 तक के बिलों को निरस्त करना न्यायोचित है।

(iv) **संशोधित किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या अतिरिक्त अधिभार लगाना भी अनुचित होगा।बिजली प्रदाता द्वारा इन समायोजनों को लागू करना विनियमों के अनुरूप उचित होगा।**

उपरोक्त निष्कर्ष उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (UERC) **(विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007**, **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related**

Katiprasad 25/03/25

25/03/25

25/03/2025

Matters) Regulations, 2020 तथा **वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order)** दर सूची **की धारा 4** पर आधारित हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान लागू होते हैं:

1. **UERC (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 की धारा 3.2** स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि **उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक NR (Non-Reading) / RDF (Reading Defective) / IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी नहीं किए जा सकते।**
2. **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.4 (Meter Not Recording / NR Meter)** के अनुसार:
   - (i) यदि मीटर दर्ज नहीं कर रहा है (NR Meter), रुका हुआ है, या उपभोक्ता द्वारा दोषपूर्ण बताया या है, तो लाइसेंसी को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जांच करनी होगी।
   - (ii) यदि मीटर दोषपूर्ण (IDF) या रीडिंग डिफेक्टिव (RDF) पाया जाता है, तो 15 दिनों के भीतर इसे बदला जाना आवश्यक होगा।
3. **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.7 (Billing during the period defective/ stuck/ stopped /burnt meter remained at site or stolen meter)** के अनुसार:
   - (i) यदि कोई मीटर दोषपूर्ण (IDF), रुका हुआ, जला हुआ, या चोरी हो गया है, तो उपभोक्ता को पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत खपत के आधार पर बिल भेजा जाएगा।
   - (ii) यह प्रावधान अधिकतम दो बिलिंग चक्रों तक लागू रहेगा, जिसके भीतर लाइसेंसी को दोषपूर्ण मीटर बदल देना चाहिए।

I. **वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order)** के दर सूची **की धारा 4** के अनुसार:

(i) यदि उपभोक्ता के मीटर में खराबी पाई जाती है (IDF/RDF/NR Meter), तो बिलिंग का निर्धारण पूर्व की औसत खपत के आधार पर किया जाएगा।

- (i) NR (Non-Reading) एवं RDF (Reading Defective) मामलों में, उपभोक्ता के बिल को पिछले एक वर्ष की औसत खपत के आधार पर समायोजित किया जाएगा।
- (ii) NR/RDF/IDF मामलों में अधिकतम दो बिलिंग चक्रों से अधिक बिल नहीं लगाया जा सकता। यदि लाइसेंसी समय पर मीटर बदलने में विफल रहता है, तो आगे की बिलिंग मान्य नहीं होगी।
- (iii) यदि वास्तविक मीटर रीडिंग उपलब्ध हो जाती है, तो समायोजन उसी के अनुसार किया जाएगा।

25/3/25 25/03/2025 27/3/25

(iv) बिजली प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ता पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अधिभार या लेट पेमेंट फीस न लगाई जाए।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्न लि खित आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा जारी विनियमों का पालन कर परिवादी के बिलों को उपरोक्तानुसार संशोधन करना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग 30 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम **(CGRF)** के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा। यदि परिवादी मंच के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल **(Uttarakhand Electricity Ombudsman)**, 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो

25/03/25	25/03/2025	25/03/25
संतोष भट्ट	भूपेन्द्र सिंह कनेरी	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)	(तकनीकी सदस्य)	(न्यायिक सदस्य)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum(Uttarkashi) Electricity Distribution Division, Uttarkashi – 249193 Ph:-+91 7895754011, 9412139791

E-mail:-cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी 249193

दूरभाष:-917895754011, 9412139791ई–मेल :–cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या:- **258/2024** दिनांक :- **25-03-2025**

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य:

1. **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)**
2. **श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)**
3. **श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)**

श्री अरविन्द सिंह,प्रतिनिधि उपभोक्ता श्री रामप्रसाद, पुत्र श्री शिवराम, ग्राम सैंज पो० लाटा भटवाडी उत्तरकाशी **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियंता,विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी। **विपक्षी**

निर्णय

शिकायतकर्ता श्री अरविन्द सिंह, प्रतिनिधि श्री रामप्रसाद,पुत्र श्री शिवराम,, ग्राम सैंज पो० लाटा भटवाडी उत्तरकाशी ने दिनांक 31.01.25 को विद्युत **उपभोक्ता शिकायत निवारण** मंच, उत्तरकाशी में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनके **बिजली संयोजन संख्या** UK/11006008121 है, उक्त संयोजन पर निर्गत बिलों की धनराशि काफी अधिक है और पूर्व में **उन्हें** बिल RDF के आधार पर दिये **गए हैं**। प्रार्थी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और इतना अधिक बिल जमा कर पाना संभव नहीं है। मंच से अनुरोध है कि उक्त संयोजन पर निर्गत बिलों को संशोधित करते हुए कृपा करें। और लोड को यथावत रखने की कृपा करें। **साथ ही** संशोधित धनराशि भी किश्त बनवाने की कृपा करें

मंच ने इस शिकायत को परिवाद के रुप में पंजीकृत कर **प्रतिवादी/विभाग** को नोटिस पत्रांक 179 दिनांक 31.01.2025 को जारी किया, जिसमें उन्हें दिनांक 18.02.25 को मंच के समक्ष याचिकाकर्ता की शिकायत निवारण के लिए स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष को समस्त तथ्यात्मक विवरण एवं आपत्तियों सहित और समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया।

दिनांक 18.02.25 की सुनवाई के दौरान, **प्रतिवादी/विभाग** ने **पत्र संख्या** 911 **दिनांक** 17-01-2025 के माध्यम से मंच को सूचित किया कि **प्रतिवादी** श्री **अरविंद सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद** ग्राम **सेज पीपली** लाटा, तहसील **भटवाड़ी**, जनपद **उत्तरकाशी** का विद्युत संयोजन UK11006008121 की Consumer history का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का माह 04/2012 **से** 12/2013 तक **आरडीएफ** पर निर्गत किया गया था, एवं माह 02/2014 में मीटर संख्या 7688 **यूनिट** पर प्रतिस्थापित किया गया था।इसके उपरांत संपूर्ण बिल रीडिंग पर निर्गत किए गए थे। माह 03/2024 में बकाया धनराशि ₹47094.00 होने के कारण संयोजन अस्थायी रूप से विच्छेद कर दिया गया था, जिसकी वर्तमान अवशेष धनराशि ₹59078.00 है।

दोनों पक्षों को सुना गया और प्रकरण की समीक्षा की गई। सभी प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन और विनियमों का विश्लेषण करने के पश्चात मंच के अवलोकन एवं निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :-

i. उपभोक्ता की **कंज्यूमर हिस्ट्री** के अनुसार, उपभोक्ता **की** विद्युत **संयोजन** का स्वीकृत भार 2 **किलोवाट** है, जिसे 24 **अगस्त** 1992 को निर्गत किया गया था। हालांकि, 2008 **के बाद से उपभोक्ता ने बिजली खपत की देय राशि का भुगतान नहीं किया**, जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि अत्यधिक बढ़ गई। समय पर **बकाया** भुगतान न करने के कारण विलंब शुल्क (Late Fee) जुड़ता गया, जिससे उपभोक्ता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा।15 **अक्टूबर** 2011 **से** 20 **दिसंबर** 2013 तक उपभोक्ता के नाम निरंतर NR (Non-Reading) **और** RDF (Reading Defective) **बिल** जारी किए गए। जो की मंच को प्रतिवादी द्वारा अवगत की गई अवधि से मेल नहीं करती है। साथ ही विपक्षी का दावा है की उपभोक्ता के RDF बिलों को समायोजित कर दिया है कन्ज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट प्रदर्शित नहीं है। ।

ii. उपभोक्ता की कंज्यूमर **हिस्ट्री** में यह देखा गया कि उपभोक्ता का 16 दिसंबर 2011 से 15 दिसंबर अक्टूबर, 2011 से 20 दिसंबर 2013 तक निरंतर एन0आर और आरडीएफ के बिल निर्गत किए गए।यह अवधि परिवादी द्वारा मंच को अवगत कराई गई अवधि से मेल नहीं खाती है।

iii. यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 और 2020) के अनुसार, दोषपूर्ण मीटर को प्रतिवादी द्वारा 15 दिनों के भीतर बदला जाना चाहिए था, लेकिन विभाग इसमें असफल रहा। इसके अलावा, दोषपूर्ण मीटर की अवधि के दौरान बिलिंग पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत पर आधारित होनी चाहिए थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी विभाग द्वारा लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक मीटर दोषपूर्ण होने की अवस्था में विभाग उपभोक्ता को बिल प्रेषित नहीं कर सकता हैं। शिकायतकर्ता को अनुमोदित दो बिलिंग चक्रों से अधिक समय के लिए गलत तरीके से बिल किया गया, और समय पर मीटर न बदलने के कारण निरंतर

गलत गणना होती रही। विभाग द्वारा विनियमों का उल्लंघन किया गया है, अतः प्रतिवादी/विभाग को **यूईआरसी** (UERC) **द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार बिल में संशोधन किया जाना न्यायसंगत होगा।** साथ ही, **संशोधित किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या अतिरिक्त अधिभार लगाना भी अनुचित होगा।**

iv. उपरोक्त विनियमों के अनुसार उपभोक्ता के दिनांक 15 -10-2011 और दिनांक 16-12-2011 के बिलों को उपभोक्ता के पूर्व में निर्गत किए गए तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संसोधित करना और दिनांक 05-02-2012 **से** दिनांक 10-12-2013 तक के आर0डी0एफ बिल निरस्त करना न्यायोचित है।

v. **संशोधित किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या अतिरिक्त अधिभार लगाना भी अनुचित होगा।बिजली प्रदाता द्वारा इन समायोजनों को लागू करना विनियमों के अनुरूप उचित होगा।**

उपरोक्त निष्कर्ष उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (UERC) (**विद्युत आपूर्ति संहिता**) **विनियम**, 2007, UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 तथा **वार्षिक टैरिफ आदेश** (Annual Tariff Order) दर सूची **की धारा** 4 पर आधारित हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान लागू होते हैं:

1. UERC (**विद्युत आपूर्ति संहिता**) **विनियम**, 2007 **की धारा** 3.2 स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि **उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक** NR (Non-Reading) / RDF (Reading Defective) / IDF (Identified Defective Meter) **बिल जारी नहीं किए जा सकते।**
2. UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 **की धारा** 5.1.4 (Meter Not Recording / NR Meter) के अनुसार:
   (i) यदि मीटर दर्ज नहीं कर रहा है (NR Meter), रुका हुआ है, या उपभोक्ता द्वारा दोषपूर्ण बताया या है, तो लाइसेंसी को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जांच करनी होगी।
   (ii) यदि मीटर दोषपूर्ण (IDF) या रीडिंग डिफेक्टिव (RDF) पाया जाता है, तो 15 दिनों के भीतर इसे बदला जाना आवश्यक होगा।
3. UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 **की धारा** 5.1.7 (Billing during the period defective/ stuck/ stopped /burnt meter remained at site or stolen meter) के अनुसार:
   (i) यदि कोई मीटर दोषपूर्ण (IDF), रुका हुआ, जला हुआ, या चोरी हो गया है, तो उपभोक्ता को पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत खपत के आधार पर बिल भेजा जाएगा।

(ii) यह प्रावधान अधिकतम दो बिलिंग चक्रों तक लागू रहेगा, जिसके भीतर लाइसेंसी को दोषपूर्ण मीटर बदल देना चाहिए।

I. **वार्षिक टैरिफ आदेश** (Annual Tariff Order) के दर सूची **की धारा** 4 के अनुसार:

(i) यदि उपभोक्ता के मीटर में खराबी पाई जाती है (IDF/RDF/NR Meter), तो बिलिंग का निर्धारण पूर्व की औसत खपत के आधार पर किया जाएगा।

(i) NR (Non-Reading) एवं RDF (Reading Defective) मामलों में, उपभोक्ता के बिल को पिछले एक वर्ष की औसत खपत के आधार पर समायोजित किया जाएगा।

(ii) NR/RDF/IDF मामलों में अधिकतम दो बिलिंग चक्रों से अधिक बिल नहीं लगाया जा सकता। यदि लाइसेंसी समय पर मीटर बदलने में विफल रहता है, तो आगे की बिलिंग मान्य नहीं होगी।

(iii) यदि वास्तविक मीटर रीडिंग उपलब्ध हो जाती है, तो समायोजन उसी के अनुसार किया जाएगा।

(iv) बिजली प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ता पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अधिभार या लेट पेमेंट फीस न लगाई जाए।

उपरोक्त चर्चा के आधार पर, **मामला** स्वीकार **किया जाता है और निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है।**

<u>आदेश</u>

परिवाद **स्वीकार** किया जाता **है**। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा जारी विनियमों का पालन कर परिवादी के बिलों को उपरोक्तानुसार संशोधन करना सुनिश्चित करें। **आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग 30 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल (Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो**

25/03/25	25/03/2025	25/03/25
संतोष भट्ट	**भूपेन्द्र सिंह कनेरी**	**कीर्ति प्रसाद भट्ट**
(उपभोक्ता सदस्य)	**(तकनीकी सदस्य)**	**(न्यायिक सदस्य)**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum(Uttarkashi) Electricity Distribution Division, Uttarkashi – 249193 Ph:-+91 7895754011, 9412139791

E-mail:-cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी 249193

दूरभाषः-917895754011, 9412139791ई–मेल :–cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या:- 262 /2024 दिनांक :- 10-03-2025

समक्ष बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य:

1. **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)**
2. **श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)**
3. **श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)**

श्री ऐलम सिंह पुत्र श्री गोबर सिंह ग्राम खालसी जनपद उत्तरकाशी **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियंता,विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी। **विपक्षी**

निर्णय

श्री ऐलम पुत्र श्री गोबर सिंह निवासी उपरोक्त का शिकायती पत्र दिनांक 04.02. 2025 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता ने लिखित कथन किया कि कनेक्शन संख्या UK24144433953 जो कि उनके पिता श्री गोबर सिंह पुत्र श्री फिचर सिंह के नाम है श्रीमान जी मैं घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैं बिजली बिल समय पर जमा नहीं कर पाया और वर्तमान बिल बहुत ज्यादा होने के कारण मैं बिल का भुगतान करने में असमर्थ हूं। मैं गरीबी रेखा के नीचे अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा हूं।

मंच ने इस शिकायत को को पंजीकृत कर को प्रतिवादी/विभाग को नोटिस पत्रांक 183 दिनांक 04.02.25 को जारी किया, जिसमें उन्हें दिनांक 18.02.25 को मंच के समक्ष याचिकाकर्ता की शिकायत निवारण के लिए स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष को समस्त तथ्यात्मक विवरण एवं आपत्तियों सहित और समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया। 18.02.25 की सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी/विभाग ने पत्र संख्या पत्रांक 43 / वि०वि०उ०ख०चि०/ दिनांक_17.02.2025 के माध्यम से मंच को सूचित किया कि शिकायतकर्ता श्री ऐलम सिंह पुत्र श्री गोवर सिंह ग्राम/पो० खालसी संयोजन सं० UK24144433953 उपभोक्ता की बिल हिस्ट्री का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 18.02.2011 से 21.04.2017 तक आई०डी०एफ० / आर०डी०एफ० / एन०आर० पर निर्गत हो रहे है। उपभोक्ता का वर्तमान बिल रू0 72116.00 बकाया है। इस पर मंच द्वारा विपक्षी को परिवादी के आई0डी0एफ/एन0आर0 के बिलों को माननीय आयोग के द्वारा जारी विनियमों के अनुसार संशोधित करने के आदेश दिए। इस पर विपक्षी/विभाग ने अपने पत्र के माध्यम से मंच को लिखित रुप में अवगत कराया कि परिवादी के आई0डी0एफ/एन0आर0 के दो बिलिंग चक्रों से अधिक बिलों को पूर्णतया समाप्त कर विद्युत बिल रु0 72116.00 को संशोधित कर रु0 32417.28 कर खण्ड कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

Kirti Prasad 10/03/25

SBhatt 10/03/25

10/03/2025

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस पर मंच द्वारा पाया गया कि विपक्षी ने परिवादी की अधिक बिल को नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है। इसका प्रमाण विपक्षी ने कैल्कूलेशन हिस्ट्री भी मंच के समक्ष पेश की है। ऐसे में परिवाद को लंबित रखना उचित नहीं है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्न लिखित आदेश दिया जाता है।

आदेश

शिकायतकर्ता का दावा स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/ विभाग द्वारा परिवादी की अधिक बिल संबंधी समस्या का समाधान कर दिए जाने पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। **आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग 30 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल (Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है।**

दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो

10/03/25
संतोष भट्ट
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

10/03/2025
(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

K.P. Prasad 10/03/25
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division, Uttarkashi – 249193 Ph:-+91 7895754011, 9412139791

E-mail:-cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी 249193

दूरभाष:-917895754011, 9412139791ई–मेल :–cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या:- 263/2024 दिनांक :- 24-03-2025

समक्ष बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्यः

1. **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)**
2. **श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)**
3. **श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)**

श्री सुरेश सिंह बिष्ट, पुत्र श्री अत्तर सिंह , ग्राम मनेरा पो० जोशियाड़ उत्तरकाशी **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियंता,विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी। **विपक्षी**

निर्णय

शिकायतकर्ता श्री सुरेश सिंह बिष्ट , पुत्र श्री अत्तर सिंह , ग्राम मनेरा पो० जोशियाड़ उत्तरकाशी ने दिनांक को बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखंड में एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनके बिजली संयोजन संख्या UK11303350159 है, प्रार्थी ग्राम मनरा में निवास करती है। और प्रार्थी का मीटर बहुत अधिक चल रहा है बिल भी खपत से अधिक आ रहा है। प्रार्थी के बिल के सही किया जाकर प्रार्थी के संसोधित बिल देने के महान कृपा करें। प्रार्थी के संयोजन पर चेक मीटर लगाया जाए और मीटर को हटाकर चेक मीटर को मेरे घर पर रहने दिया जाए

मंच ने इस शिकायत को दिनांक को पंजीकृत कर को प्रतिवादी/विभाग को पत्रांक पत्रांक 184 दिनांक दिनांक-04/02/24 को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें दिनांक 18-02-2025 को मंच के समक्ष याचिकाकर्ता की शिकायत निवारण के लिए स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष को समस्त तथ्यात्मक विवरण एवं आपत्तियों सहित और समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया। की सुनवाई के दौरान,

प्रतिवादी/विभाग ने पत्र संख्या पत्रांक 909 /वि०वि०उ०ख०उ० दिनांक 17-02-25, दिनांक के माध्यम से मंच को सूचित किया कि प्रतिवादी उपरोक्त विषयक माननीय मंच के समक्ष प्रस्तुत परिवाद संख्या 263/2024 श्री सुरेश सिह बिष्ट पुत्र श्री अत्तर सिंह ग्राम मनेरा पो०ओ० जोशियाडा जनपद उत्तरकाशी संयोजन UK11303350159 की Consumer history का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता के बिल माह 07/2024, 09/2024, 11/2024 एवं 01/2025 की खपत कमशः 341, 506, 408 एव 1046 यूनिट है। उपभोक्ता के सम्पूर्ण विद्युत बीजक रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये जा रहे है। उपभोक्ता के

24/03/25 24/03/2025 Kirti Prasad 24/03/25

परिसर पर दिनांक 07.02.2025 को चैक मीटर स्थापित कर दिया गया है। यदि कोई चैक मीटर व मैन मीटर की रीडिंग में कोई अन्तर पाया जाता है। तो ही उपभोक्ता का बिल सशोधित किया जाना सम्भव होगा।

प्रतिवादी विभाग द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री का परिशीलन करने पर मंच ने पाया की उपभोक्ता का संविदाकृत भार 2kW का घरेलू संयोजन कोटि में दिनांक 24-मई-2024 को निर्गत किया गया। उपभोक्ता द्वारा विद्युत देयक राशि समय पर भुगतान जा रहा हे जिस कारण उपभोक्ता को विलंब शुल्क अधिभार भी नहीं पड़ रहा है। परिवादी का दिनांक 25-जन-2025 का बिल पूर्व में निर्गत किए बिलों से अधिक हे। उपभोक्ता के परिसर में दिनांक 07-फरवरी-2025 को चेक मीटर लगाया गया है जिसकी रिपोर्ट 17-मार्च-2025 तक फाइनल हो जानी चाहिए। लेकिन आज दिनांक तक विपक्षी द्वारा परिवादी के संयोजन पर स्थापित चैक मीटर की रिपोर्ट मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। मंच का मत है कि विपक्षी परिवादी के संयोजन पर स्थापित चैक मीटर और मूल मीटर की रीडिंग का माननीय आयोग द्वारा जारी विनियमों के अनुसार आंकलन करे यदि दोनो मापकों (मीटरों)में अंतर पाया जाता है तो खराब मीटर को हटाकर सही मापक परिसर में स्थापित करें तथा परिवादी को सही रीडिंग के बिल निर्गत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्न लिखित आदेश दिया जाता है।

आदेश

शिकायतकर्ता का दावा स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/ विभाग को आदेशित किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा जारी विनियमों का पालन कर परिवादी के बिलों को उपरोकतानुसार संशोधन करना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग 30 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल (Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो

24/3/25	24/03/2025	24/03/25
संतोष भट्ट	भूपेन्द्र सिंह कनेरी	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)	(तकनीकी सदस्य)	(न्यायिक सदस्य)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193 Ph:-+91 7895754011, 9412139791

E-mail:-cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)विद्युत वितरण खण्ड
उत्तरकाशी 249193

दूरभाषः-917895754011,
9412139791ई–मेल
:–cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या:- 264/2024 दिनांक :- 10-03-2025

समक्ष बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्यः

1. **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)**
2. **श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)**
3. **श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)**

श्री अमित,पुत्र स्व० श्री कुन्दन लाल, ग्राम डिडसारी जनपद उत्तरकाशी **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियंता,विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी। **विपक्षी**

निर्णय

शिकायतकर्ता श्री अमित, पुत्र स्व० श्री कुन्दन लाल, ग्राम डिडसारी जनपद उत्तरकाशी ने दिनांक 05.02.25 को बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखंड में एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनके बिजली संयोजन संख्या UK21104010080 है, संयोजन पर पूर्व में RDF, NR और IDF के आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं, जो अपेक्षा से अधिक हैं। उपभोक्ता अधिक राशि के कारण बिल संशोधन एवं संयोजन बंद करने की मांग कर रहा है। मीटर पिछले कई दिनों से खराब है, जिसके कारण बिजली बिल अधिक आ रहा है। उपभोक्ता ने कई बार आवेदन दिया लेकिन मीटर नहीं बदला गया और कनेक्शन भी काट दिया गया। । प्रार्थी ने मंच निवेदन किया है मीटर बदलाव कर नया मीटर लगवाएं ।

मंच ने इस शिकायत को परिवाद संख्या 264/2024 के तहत दिनांक 05.02.25 को पंजीकृत कर को प्रतिवादी/विभाग को नोटिस पत्रांक 115 दिनांक 05.02.25 को जारी किया, जिसमें उन्हें दिनांक 18.02.25 को मंच के समक्ष याचिकाकर्ता की शिकायत निवारण के लिए स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष को समस्त तथ्यात्मक विवरण एवं आपत्तियों सहित और समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया। 18.02.25 की सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी/विभाग ने पत्र संख्या 915 / वि०वि०उ०ख०, दिनांक 17-02-2025 के माध्यम से मंच को सूचित किया कि प्रतिवादी उपरोक्त विषयक माननीय मंच के समक्ष प्रस्तुत परिवाद संख्या 264/2024 श्री अमित पुत्र स्व० श्री कुन्दन लाल ग्राम डिडसारी जनपद उत्तरकाशी का विद्युत संयोजन UK21104010080 की Consumer history का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता के बिल माह 10/2024, 12/2024 एवं 02/2025 की खपत 52, 106 एंव 102 यूनिट है। उपभोक्ता के सम्पूर्ण विद्युत बीजक रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये जा रहे। जिसमें वर्तमान में उपभोक्ता की अवशेष बीजक धनराशि रू0 30937.00 है जोकि उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना शेष है।.

प्रतिवादी विभाग द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता की विलिंग हिस्ट्री का परिशीलन करने पर मंच ने पाया की उपभोक्ता का संविदाकृत भार 1.0 kW का घरेलू संयोजन कोटि में दिनांक 01-03-1998 को निर्गत किया गया

है। उपभोक्ता द्वारा विद्युत देयक राशि समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। उपभोक्ता का विद्युत संयोजन दिनांक 23-02-2024 से कटा हुआ है। मंच ने प्रतिवादी को उपभोक्ता को विनियमों के विपरीत परिवादी को प्रेषित किए गए बिलों को संशोधित करने के आदेश दिए।

प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन और विनियमों का विश्लेषण करने के पश्चात फोरम के अवलोकन एवं निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :-

(i) मंच द्वारा बिलिंग हिस्ट्री की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि उपभोक्ता को दिनांक 01-08-2010 से दिनांक 20-02-2014 तक NR (Non-Reading) / RDF (Reading Defective) एवं IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी किए गए थे।

(ii) यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 और 2020) के अनुसार, दोषपूर्ण मीटर को प्रतिवादी द्वारा 15 दिनों के भीतर बदला जाना चाहिए था, लेकिन विभाग इसमें असफल रहा। इसके अलावा, दोषपूर्ण मीटर की अवधि के दौरान बिलिंग पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत पर आधारित होनी चाहिए थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी विभाग द्वारा लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक मीटर दोषपूर्ण होने की अवस्था में विभाग उपभोक्ता को बिल प्रेषित नहीं कर सकता है। शिकायतकर्ता को अनुमोदित दो बिलिंग चक्रों से अधिक समय के लिए गलत तरीके से बिल किया गया, और समय पर मीटर न बदलने के कारण निरंतर गलत गणना होती रही। विभाग द्वारा विनियमों का उल्लंघन किया गया है, अतः प्रतिवादी/विभाग को **यूईआरसी (UERC) द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार बिल में संशोधन किया जाना न्यायसंगत होगा।** साथ ही, **संशोधित किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या अतिरिक्त अधिभार लगाना भी अनुचित होगा।**

(iii) उपरोक्त विनिउमओं के अनुसार उपभोक्ता के दिनांक 08/2010 और दिनांक 10/2010 के बिलों को उपभोक्ता के पूर्व में निर्गत किए गए तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संसोधित करें और दिनांक 12/2010 से दिनांक **02**/2014 तक के बिलों को निरस्त करना न्यायोचित है।

(iv) **संशोधित किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या अतिरिक्त अधिभार लगाना भी अनुचित होगा।**

(v) बिजली प्रदाता द्वारा इन समायोजनों को लागू करना विनियमों के अनुरूप उचित होगा।

उपरोक्त निष्कर्ष उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (UERC) **(विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007**, **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020** तथा **वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order)** दर सूची की धारा **4** पर आधारित हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान लागू होते हैं:

1. **UERC (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 की धारा 3.2** स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि **उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक NR (Non-Reading) / RDF (Reading Defective) / IDF (Identified Defective Meter)** बिल जारी नहीं किए जा सकते।
2. **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.4 (Meter Not Recording / NR Meter)** के अनुसार:

Kirti Prasad 10/03/25

10/03/2025

10/03/25

(i) यदि मीटर दर्ज नहीं कर रहा है (NR Meter), रुका हुआ है, या उपभोक्ता द्वारा दोषपूर्ण बताया या है, तो लाइसेंसी को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जांच करनी होगी।

(ii) यदि मीटर दोषपूर्ण (IDF) या रीडिंग डिफेक्टिव (RDF) पाया जाता है, तो 15 दिनों के भीतर इसे बदला जाना आवश्यक होगा।

3. **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.7 (Billing during the period defective/ stuck/ stopped /burnt meter remained at site or stolen meter)** के अनुसार:

(i) यदि कोई मीटर दोषपूर्ण (IDF), रुका हुआ, जला हुआ, या चोरी हो गया है, तो उपभोक्ता को पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत खपत के आधार पर बिल भेजा जाएगा।

(ii) यह प्रावधान अधिकतम दो बिलिंग चक्रों तक लागू रहेगा, जिसके भीतर लाइसेंसी को दोषपूर्ण मीटर बदल देना चाहिए।

I. **वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order)** के दर सूची **की धारा 4** के अनुसार:

(i) यदि उपभोक्ता के मीटर में खराबी पाई जाती है (IDF/RDF/NR Meter), तो बिलिंग का निर्धारण पूर्व की औसत खपत के आधार पर किया जाएगा।

(i) NR (Non-Reading) एवं RDF (Reading Defective) मामलों में, उपभोक्ता के बिल को पिछले एक वर्ष की औसत खपत के आधार पर समायोजित किया जाएगा।

(ii) NR/RDF/IDF मामलों में अधिकतम दो बिलिंग चक्रों से अधिक बिल नहीं लगाया जा सकता। यदि लाइसेंसी समय पर मीटर बदलने में विफल रहता है, तो आगे की बिलिंग मान्य नहीं होगी।

(iii) यदि वास्तविक मीटर रीडिंग उपलब्ध हो जाती है, तो समायोजन उसी के अनुसार किया जाएगा।

(iv) बिजली प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ता पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अधिभार या लेट पेमेंट फीस न लगाई जाए।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्न लिखित आदेश दिया जाता है।

आदेश

शिकायतकर्ता का दावा स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/ विभाग को आदेशित किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा जारी विनियमों का पालन कर परिवादी के बिलों को उपरोकतानुसार संशोधित करना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग **30** कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम **(CGRF)** के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल **(Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80** वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो

14/03/25	10/03/2025	10/03/25
संतोष भट्ट	भूपेन्द्र सिंह कैनेरी	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)	(तकनीकी सदस्य)	(न्यायिक सदस्य)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193 Ph:-+91
7895754011, 9412139791

E-mail:-cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)विद्युत वितरण खण्ड
उत्तरकाशी 249193

दूरभाषः-917895754011,
9412139791ई–मेल
:–cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या - 270/2024 दिनांक- 26-03-2025

समक्ष बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्यः

1. **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)**
2. **श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)**
3. **श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)**

श्री प्रेम लाल पुत्र स्व० श्री ऐत्वारु लाल ग्राम/पो० बौन उत्तरकाशी। **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी। **विपक्षी**

निर्णय

श्री प्रेम लाल पुत्र स्व० श्री ऐत्वारु लाल ग्राम/पो० बौन ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत उत्तरकाशी के विद्युत वितरण विभाग के अधिशासी अभियंता के खिलाफ है, जो बिजली बिलिंग से संबंधित है। उपभोक्ता जिनका की संयोजन संख्या UK14118433789 है के अनुसार विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा मीटर रीडिंग के आधार पर बिल नहीं दिया जा रहा है। पुरानी बकाया धनराशि पर ही बिल भेजी जा रही है जो अनुचित है। विद्युत बिल में पुरानी बकाया धनराशि का एक मुश्त बिल जमा कराया गया किन्तु बिल मीटर रीडिंग के आधार पर ही दिया जाए जिससे प्रार्थी जमा कर सके। । प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उनका विद्युत बिल भी संशोधित करवाए और बिल मीटर रीडिंग के आधार पर ही दिया जाए जिससे वो बिल जमा कर सकें ।

शिकायत दिनांक 13 फरवरी 2025 को पंजीकृत किया गया और पत्रांक 192 दिनांक-13/02/25 को उपभोक्ता की शिकायत निवारण हेतु प्रतिवादी, अधिशासी अभियंता को अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों एवं आपत्तियों सहित समर्थित अभिलेखों जैसे की उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री को मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करने का नोटिस जारी किया। परिवाद की सुनवाई 18 फरवरी 2025 की सुबह निर्धारित की गई है।

सुनवाई के दौरान पत्रांक 48/वि०वि०ऽ०ख०चि०/दिनांक 17.02.2025 के द्वारा **प्रतिवादी/विभाग** ने यह स्वीकार करते हुए मंच को अवगत किया की शिकायतकर्ता श्री प्रेम लाल

ग्राम/पो० बौन संयोजन सं० UK14118433789 उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 15.01.2009 से 19.01.2010 व 12.09.2020 से 17.09.2022 तक एन०आर०/ आई०डी०एफ०/आर०डी०एफ० पर निर्गत हो रहे है। उपभोक्ता का वर्तमान बिल रू0 75478.00 बकाया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना और पत्रावलि का परिशीलन किया। परिवादी की समस्या अधिक बिल की है। मंच के आदेश पर विपक्षी विभाग ने **प्रतिवादी/विभाग** ने से आईडीएफ0/एनआर के प्रेषित बिल विनियमों के विपरीत होना स्वीकार कर संशोधन की प्रक्रिया के तहत उपरोक्त विनियमों के अनुसार उपभोक्ता के दो बिलिंग चक्रों से अधिक आईडीएफ0/एनआर बिलों को पूर्णतः समाप्त कर बिल की देय राशि रू0 75478.00 को **₹41942.00** तक संशोधित कर खंड कार्यालय भेज दिया गया है। विपक्षी ने इस संबंध में calculation शीट भी प्रस्तुत की है। ।

मंच द्वारा **बिलिंग हिस्ट्री की समीक्षा करने पर** प्रतिवादी के कथन को सही पाया **उपभोक्ता को** दिनांक **15**-01-2009 **से** दिनांक **19**-01-2010 **तक** NR (Non-Reading) / IDF (Reading Defective) और दिनांक 12.02.2020 **से** दिनांक 17.09.2022 NR (Non-Reading) / RDF (Reading Defective) के **बिल जारी किए गए थे।**

यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 और 2020) के अनुसार, दोषपूर्ण मीटर को प्रतिवादी द्वारा 15 दिनों के भीतर बदला जाना चाहिए था, लेकिन विभाग इसमें असफल रहा। इसके अलावा, दोषपूर्ण मीटर की अवधि के दौरान बिलिंग पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत पर आधारित होनी चाहिए थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी विभाग द्वारा लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक मीटर दोषपूर्ण होने की अवस्था में विभाग उपभोक्ता को बिल प्रेषित नहीं कर सकता है। शिकायतकर्ता को अनुमोदित दो बिलिंग चक्रों से अधिक समय के लिए गलत तरीके से बिल किया गया, और समय पर मीटर न बदलने के कारण निरंतर गलत गणना होती रही। विभाग द्वारा विनियमों का उल्लंघन किया गया है, अतः प्रतिवादी/विभाग को **यूईआरसी (UERC) द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार बिल में संशोधन किया जाना न्यायसंगत होगा।** साथ ही, **संशोधित किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या अतिरिक्त अधिभार लगाना भी अनुचित होगा।**

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्न लि खित आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/ विभाग को आदेशित किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा जारी विनियमों का पालन कर परिवादी के बिलों को

उपरोक्तानुसार संशोधन करना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग 30 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल (Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो।

26/3/25	26/03/2025	26/03/25
संतोष भट्ट	भूपेन्द्र सिंह कनेरी	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)	(तकनीकी सदस्य)	(न्यायिक सदस्य)

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193 Ph:-+91
7895754011, 9412139791

E-mail:-cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)विद्युत वितरण खण्ड
उत्तरकाशी 249193

दूरभाष:-917895754011,
9412139791ई–मेल
:–cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या:- 271/2024 दिनांक :- 25-03-2025

समक्ष बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य:

1. श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
2. श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)
3. श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)

श्री जैनेन्द्र सिंह, प्रतिनिधि उपभोक्ता श्री इड्डु सिंह, ग्राम कुमराड़ा, पो०ओ० बल्डोगी उत्तरकाशी — **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियंता,विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी। — **विपक्षी**

निर्णय

शिकायतकर्ता श्री जैनेन्द्र सिंह, प्रतिनिधि उपभोक्ता श्री इड्डु सिंह, ग्राम कुमराड़ा, पो०ओ० बल्डोगी उत्तरकाशी ने दिनांक 11-02-2025 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखंड में एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनके बुडससुर श्री इड्डु सिंह के नाम से ग्राम सभा बनकोट में बिजली संयोजन संख्या UK 24146410444 चल रहा है जिसका वर्तमान बिल रू 109794 का बकाया चल रहा है, जिसे जमा करने में प्रार्थी के ससुर असमर्थ है, प्रार्थी ने प्रार्थना की है उसके बिल को सही करने की कृपा करें।

मंच ने इस शिकायत को पंजीकृत कर को प्रतिवादी/विभाग को पत्रांक संख्या 193 दिनांक 14.02.25 को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें दिनांक 18-02-2025 को मंच के समक्ष याचिकाकर्ता की शिकायत निवारण के लिए स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष को समस्त तथ्यात्मक विवरण एवं आपत्तियों सहित और समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया।

दिनांक 18-02-2025 की सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी/विभाग ने पत्र संख्या पत्रांक 45/वि०वि०उ०ख0चि०, दिनांक 17-02-2025के माध्यम से मंच को सूचित किया कि

प्रतिवादी शिकायतकर्ता श्री जैनेन्द्र सिंह ग्राम कुमराड़ा, पो०ओ० बल्डोगी संयोजन सं० UK24146410444 उपभोक्ता की बिल हिस्ट्री का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 18.02.2008 से दिनांक 24.12.2023 तक आई०डी०एफ० पर निर्गत हो रहे है। उपभोक्ता का वर्तमान बिल रू0 127401.00 बकाया है।

सभी प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन और विनियमों का विश्लेषण करने के पश्चात फोरम के अवलोकन एवं निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :-

(i) उपभोक्ता का संविदाकृत भार 1 kW का घरेलू संयोजन कोटि में निर्गत किया गया हे। उपभोक्ता द्वारा विद्युत देयक राशि समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा हे। जिसके कारण उपभोक्ता को देयक राशि विलंब शुल्क अधिभार के चलते विद्युत खपत की राशि से भी अधिक हो रही हे।

(ii) मंच द्वारा **बिलिंग हिस्ट्री की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि उपभोक्ता को** दिनांक 18-02-2008 **से** दिनांक 24-12-2023 **तक** NR (Non-Reading) / RDF (Reading Defective) एवं **IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी किए गए थे।**

(iii) यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 और 2020) के अनुसार, दोषपूर्ण मीटर को प्रतिवादी द्वारा 15 दिनों के भीतर बदला जाना चाहिए था, लेकिन विभाग इसमें असफल रहा। इसके अलावा, दोषपूर्ण मीटर की अवधि के दौरान बिलिंग पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत पर आधारित होनी चाहिए थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी विभाग द्वारा लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक मीटर दोषपूर्ण होने की अवस्था में विभाग उपभोक्ता को बिल प्रेषित नहीं कर सकता हे। शिकायतकर्ता को अनुमोदित दो बिलिंग चक्रों से अधिक समय के लिए गलत तरीके से बिल किया गया, और समय पर मीटर न बदलने के कारण निरंतर गलत गणना होती रही। विभाग द्वारा विनियमों का उल्लंघन किया गया है, अतः प्रतिवादी/विभाग को **यूईआरसी (UERC) द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार बिल में संशोधन किया जाना न्यायसंगत होगा**। साथ ही, **संशोधित किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या अतिरिक्त अधिभार लगाना भी अनुचित होगा**।

(iv) उपरोक्त विनिउमओं के अनुसार उपभोक्ता के दिनांक 18-02-2008 और दिनांक 24-04-2008 के बिलों को उपभोक्ता के पूर्व में निर्गत किए गए तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधन करना और दिनांक 17-06-2008 **से** दिनांक 24-12-2023 तक के बिलों को निरस्त करना न्यायोचित हे। **संशोधित किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क**

Kirti Prasad
25/03/25

25/03/25

25/03/2025

या अतिरिक्त अधिभार लगाना भी अनुचित होगा। बिजली प्रदाता द्वारा इन समायोजनों को लागू करना विनियमों के अनुरूप उचित होगा।

उपरोक्त निष्कर्ष उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (UERC) **(विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007**, **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related atters) Regulations, 2020** तथा **वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order)** दर सूची **की धारा 4** पर आधारित हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान लागू होते हैं:

1. **UERC (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 की** धारा **3.2** स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि **उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक NR (Non-Reading) / RDF (Reading Defective) / IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी नहीं किए जा सकते।**
2. **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की** धारा **5.1.4 (Meter Not Recording / NR Meter)** के अनुसार:
   (i) यदि मीटर दर्ज नहीं कर रहा है (NR Meter), रुका हुआ है, या उपभोक्ता द्वारा दोषपूर्ण बताया या है, तो लाइसेंसी को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जांच करनी होगी।
   (ii) यदि मीटर दोषपूर्ण (IDF) या रीडिंग डिफेक्टिव (RDF) पाया जाता है, तो 15 दिनों के भीतर इसे बदला जाना आवश्यक होगा।
3. **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की** धारा **5.1.7 (Billing during the period defective/ stuck/ stopped /burnt meter remained at site or stolen meter)** के अनुसार:
   (i) यदि कोई मीटर दोषपूर्ण (IDF), रुका हुआ, जला हुआ, या चोरी हो गया है, तो उपभोक्ता को पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत खपत के आधार पर बिल भेजा जाएगा।
   (ii) यह प्रावधान अधिकतम दो बिलिंग चक्रों तक लागू रहेगा, जिसके भीतर लाइसेंसी को दोषपूर्ण मीटर बदल देना चाहिए।

I. **वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order)** के दर सूची **की धारा 4** के अनुसार:

(i) यदि उपभोक्ता के मीटर में खराबी पाई जाती है (IDF/RDF/NR Meter), तो बिलिंग का निर्धारण पूर्व की औसत खपत के आधार पर किया जाएगा।

   (i) NR (Non-Reading) एवं RDF (Reading Defective) मामलों में, उपभोक्ता के बिल को पिछले एक वर्ष की औसत खपत के आधार पर समायोजित किया जाएगा।
   (ii) NR/RDF/IDF मामलों में अधिकतम दो बिलिंग चक्रों से अधिक बिल नहीं लगाया जा सकता। यदि लाइसेंसी समय पर मीटर बदलने में विफल रहता है, तो आगे की बिलिंग मान्य नहीं होगी।

25/03/25 25/03/2025 25/03/25

(iii) यदि वास्तविक मीटर रीडिंग उपलब्ध हो जाती है, तो समायोजन उसी के अनुसार किया जाएगा।

(iv) बिजली प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ता पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अधिभार या लेट पेमेंट फीस न लगाई जाए।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्नलिखित आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/ विभाग को आदेशित किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा जारी विनियमों का पालन कर परिवादी के बिलों को उपरोक्तानुसार संशोधन करना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग 30 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल (Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो

25/03/25	25/03/2025	25/03/25
संतोष भट्ट	भूपेन्द्र सिंह कनेरी	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)	(तकनीकी सदस्य)	(न्यायिक सदस्य)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193 Ph:-+91 7895754011, 9412139791

E-mail:-cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी 249193

दूरभाष:-917895754011, 9412139791ई–मेल :–cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या:- 274/2024 दिनांक :- 10-03-2025

समक्ष बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य:

1. **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)**
2. **श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)**
3. **श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)**

श्री मोहन लाल आर्य ग्राम पोखरियाल गांव (गाजणा) उत्तरकाशी। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी। **विपक्षी**

निर्णय

शिकायतकर्ता श्री मोहन लाल आर्य ग्राम पोखरियाल गांव (गाजणा) उत्तरकाशी। ने दिनांक 15–02–2025 को बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखंड में एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनके बिजली संयोजन संख्या UK2/1320/019620 है, पूर्व से ही कई बिल IDF के आधार पर निर्गत किए गए है, और वर्तमान बिल की धनराशि काफी अधिक हो गई है जिसे अब जमा कर पाना संभव नहीं है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त संयोजन पर निर्गत बिलों को संशोधित कराने की कृपा करें।

मंच ने इस शिकायत को पंजीकृत कर प्रतिवादी/विभाग को पत्रांक 196 दिनांक 15–02–2025 को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें दिनांक 18–02–2025 को मंच के समक्ष याचिकाकर्ता की शिकायत निवारण के लिए स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष को समस्त तथ्यात्मक विवरण एवं आपत्तियों सहित और समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया।

18–02–2025 की सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी/विभाग द्वारा आख्या प्राप्त नहीं हुई। विपक्षी/विभाग को एक और मौका देते हुए दिनांक 01.03.2025 तक जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया। तय तिथि को विपक्षीका जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ। चूंकि विपक्षी के जवाब में देरी से परिवाद निस्तारण में वेवजह विलंब हो रहा है। ऐसे में विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 10.03.2023 की सुनवाई के दौरान परिवाद को लेकर समस्त जानकारी प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया।

आज सुनवाई के दौरान विपक्षी ने परिवाद की बिलिंग हिस्ट्री प्रस्तुत की गई। इस दौरान परिवादी ने अधिक बिल को संशोधन की बात दोहराई है।

प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन और विनियमों का विश्लेषण करने के पश्चात फोरम के अवलोकन एवं निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :-

Kirti prasad 10/03/25

(i) उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री का परिशीलन करने पर मंच ने पाया की उपभोक्ता का संविदाकृत भार 1 kW का घरेलू संयोजन श्रेणी में दिनांक 27-मार्च-2012 को निर्गत किया गया हे। उपभोक्ता द्वारा विद्युत देयक राशि समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा हे। जिस कारण उपभोक्ता को विलंब शुल्क अधिभार बढ़ रहा हे और उपभोक्ता की देयक राशि अत्यधिक है।

(ii) मंच द्वारा बिलिंग हिस्ट्री की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि उपभोक्ता को दिनांक 20-09-2014 से दिनांक **13**-05-2024 IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी किए गए थे।

(iii) यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 और 2020) के अनुसार, दोषपूर्ण मीटर को प्रतिवादी द्वारा 15 दिनों के भीतर बदला जाना चाहिए था, लेकिन विभाग इसमें असफल रहा। इसके अलावा, दोषपूर्ण मीटर की अवधि के दौरान बिलिंग पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत पर आधारित होनी चाहिए थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी विभाग द्वारा लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक मीटर दोषपूर्ण होने की अवस्था में विभाग उपभोक्ता को बिल प्रेषित नहीं कर सकता हे। शिकायतकर्ता को अनुमोदित दो बिलिंग चक्रों से अधिक समय के लिए गलत तरीके से बिल किया गया, और समय पर मीटर न बदलने के कारण निरंतर गलत गणना होती रही। विभाग द्वारा विनियमों का उल्लंघन किया गया है, अतः प्रतिवादी/विभाग को **यूईआरसी (UERC) द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार बिल में संशोधन किया जाना न्यायसंगत होगा।** साथ ही, **संशोधित किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या अतिरिक्त अधिभार लगाना भी अनुचित होगा।**

(iv) उपरोक्त विनियमों के अनुसार उपभोक्ता के दिनांक 20-09-2014 और दिनांक **02**-12-2014 के बिलों को उपभोक्ता के पूर्व में निर्गत किए गए तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संसोधित करें और दिनांक **07**-01-2015 से दिनांक **13**-05-2024 तक के बिलों को निरस्त करना न्यायोचित है।

(v) **संशोधित किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या अतिरिक्त अधिभार लगाना भी अनुचित होगा।बिजली प्रदाता द्वारा इन समायोजनों को लागू करना विनियमों के अनुरूप उचित होगा।**

उपरोक्त निष्कर्ष उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (UERC) **(विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007, UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020** तथा वार्षिक टैरिफ आदेश **(Annual Tariff Order)** दर सूची की धारा **4** पर आधारित हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान लागू होते हैं:

1. **UERC (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 की धारा 3.2** स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि **उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक NR (Non-Reading) / RDF (Reading Defective) / IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी नहीं किए जा सकते।**
2. **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.4 (Meter Not Recording / NR Meter)** के अनुसार:
   (i) यदि मीटर दर्ज नहीं कर रहा है (NR Meter), रुका हुआ है, या उपभोक्ता द्वारा दोषपूर्ण बताया या है, तो लाइसेंसी को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जांच करनी होगी।

10/03/25

10/03/25

10/03/2025

(ii) यदि मीटर दोषपूर्ण (IDF) या रीडिंग डिफेक्टिव (RDF) पाया जाता है, तो 15 दिनों के भीतर इसे बदला जाना आवश्यक होगा।

3. **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.7 (Billing during the period defective/ stuck/ stopped /burnt meter remained at site or stolen meter)** के अनुसार:

   (i) यदि कोई मीटर दोषपूर्ण (IDF), रुका हुआ, जला हुआ, या चोरी हो गया है, तो उपभोक्ता को पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत खपत के आधार पर बिल भेजा जाएगा।

   (ii) यह प्रावधान अधिकतम दो बिलिंग चक्रों तक लागू रहेगा, जिसके भीतर लाइसेंसी को दोषपूर्ण मीटर बदल देना चाहिए।

I. **वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order)** के दर सूची **की धारा 4** के अनुसार:

(i) यदि उपभोक्ता के मीटर में खराबी पाई जाती है (IDF/RDF/NR Meter), तो बिलिंग का निर्धारण पूर्व की औसत खपत के आधार पर किया जाएगा।

   (i) NR (Non-Reading) एवं RDF (Reading Defective) मामलों में, उपभोक्ता के बिल को पिछले एक वर्ष की औसत खपत के आधार पर समायोजित किया जाएगा।

   (ii) NR/RDF/IDF मामलों में अधिकतम दो बिलिंग चक्रों से अधिक बिल नहीं लगाया जा सकता। यदि लाइसेंसी समय पर मीटर बदलने में विफल रहता है, तो आगे की बिलिंग मान्य नहीं होगी।

   (iii) यदि वास्तविक मीटर रीडिंग उपलब्ध हो जाती है, तो समायोजन उसी के अनुसार किया जाएगा।

   (iv) बिजली प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ता पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अधिभार या लेट पेमेंट फीस न लगाई जाए।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्न लिखित आदेश दिया जाता है।

आदेश

शिकायतकर्ता का दावा स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/ विभाग को आदेशित किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा जारी विनियमों का पालन कर परिवादी के बिलों को उपरोकतानुसार संशोधन करना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग 30 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम **(CGRF)** के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल **(Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80** वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ़तर हो

1.03.25	1/03/2025	1/03/25
संतोष भट्ट	(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)	(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division, Uttarkashi – 249193 Ph:-+91 7895754011, 9412139791

E-mail:-cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)विद्युत वितरण खण्ड
उत्तरकाशी 249193

दूरभाष:-917895754011, 9412139791ई–मेल :–cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्याः- **275/2024** दिनांक :- 10-03-2025

समक्ष बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य:

1. **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)**
2. **श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)**
3. **श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)**

श्री साव सिंह ,पुत्र विजय सिंह, पंचाण गाँव डुण्डा उत्तरकाशी **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियंता,विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी। **विपक्षी**

निर्णय

श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद साव सिंह ,पुत्र विजय सिंह, पंचाण गाँव, डुण्डा , उत्तरकाशी ने दिनांक 17-02-2025 को बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखंड में एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनके बिजली संयोजन संख्या यू0के0 4108415719 है, निवेदन है कि उक्त संयोजन पर विद्युत बिल, NR/ IDF के आधार पर निर्गत किए जा रहे हैं, और वर्तमान बिल की धनराशि काफी अधिक हो गई है, जिसे जमा कर पाना संभव नहीं है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त संयोजन पर निर्गत बिलों को संशोधित कर, भरने की कृपा करें।

मंच ने इस शिकायत को को पंजीकृत कर को **प्रतिवादी/विभाग** को 18-02-2025 को मंच के समक्ष याचिकाकर्ता की शिकायत निवारण के लिए स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष को समस्त तथ्यात्मक विवरण एवं आपत्तियों सहित और समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान, **प्रतिवादी/विभाग** ने उपभोक्ता की कन्ज्यूमर **हिस्ट्री प्रस्तुत** की।

प्रतिवादी विभाग द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री का परिशीलन करने पर मंच ने पाया की उपभोक्ता का संविदाकृत भार 1kW का घरेलू संयोजन श्रेणी में दिनांक 29-05-2005 को निर्गत किया गया हे। उपभोक्ता द्वारा विद्युत देयक राशि समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा हे। उपभोक्ता का विद्युत संयोजन जारी हे।

प्रस्तुत मामले में पत्रावली का अवलोकन और विनियमों का विश्लेषण करने के पश्चात फोरम का अवलोकन एवं निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :-

(i) मंच द्वारा **बिलिंग हिस्ट्री की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि उपभोक्ता को** दिनांक {17-01-2008} **से** दिनांक {12-03-2016} **तक** और पुनः दिनांक {06-03-2019 } **से** दिनांक {15-05-2024} NR (Non-Reading) / RDF (Reading Defective) एवं **IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी किए गए थे।**

(ii) यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 और 2020) के अनुसार, दोषपूर्ण मीटर को प्रतिवादी द्वारा 15 दिनों के भीतर बदला जाना चाहिए था, लेकिन विभाग इसमें असफल

Shukla 10/03/25 10/03/2025 Kirti Prasad 10/03/25

रहा। इसके अलावा, दोषपूर्ण मीटर की अवधि के दौरान बिलिंग पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत पर आधारित होनी चाहिए थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी विभाग द्वारा लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक मीटर दोषपूर्ण होने की अवस्था में विभाग उपभोक्ता को बिल प्रेषित नहीं कर सकता है। शिकायतकर्ता को अनुमोदित दो बिलिंग चक्रों से अधिक समय के लिए गलत तरीके से बिल किया गया, और समय पर मीटर न बदलने के कारण निरंतर गलत गणना होती रही। विभाग द्वारा विनियमों का उल्लंघन किया गया है, अतः प्रतिवादी/विभाग को **यूईआरसी (UERC) द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार बिल में संशोधन किया जाना न्यायसंगत होगा।** साथ ही, **संशोधित किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या अतिरिक्त अधिभार लगाना भी अनुचित होगा।**

(iii) उपरोक्त विनिउमओं के अनुसार उपभोक्ता के दिनांक 17-01-2008 और दिनांक 09-03-2008 के बिलों को उपभोक्ता के पूर्व में निर्गत किए गए तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संसोधित करें और दिनांक **15**-05-2008 **से** दिनांक 12-03-2016 तक के बिलों को निरस्त करना न्यायोचित हे।

(iv) इसके अतिरिक्त दिनांक 06-03-2019 और दिनांक 18-05-2019 के बिलों को उपभोक्ता के पूर्व में निर्गत किए गए तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संसोधित करें और दिनांक 06-07-2019 से दिनांक 15-05-2024 तक के बिलों को निरस्त करने योग्य हैं।

(v) संशोधित किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या अतिरिक्त अधिभार लगाना भी अनुचित होगा।

(vi) बिजली प्रदाता द्वारा इन समायोजनों को लागू करना विनियमों के अनुरूप उचित होगा।

उपरोक्त **निष्कर्ष** उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (UERC) **(विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007**, **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020** तथा **वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order)** दर सूची की धारा **4** पर आधारित हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान लागू होते हैं:

1. **UERC (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 की धारा 3.2** स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि **उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक NR (Non-Reading) / RDF (Reading Defective) / IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी नहीं किए जा सकते।**
2. **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.4 (Meter Not Recording / NR Meter)** के अनुसार:
   (i) यदि मीटर दर्ज नहीं कर रहा है (NR Meter), रुका हुआ है, या उपभोक्ता द्वारा दोषपूर्ण बताया या है, तो लाइसेंसी को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जांच करनी होगी।
   (ii) यदि मीटर दोषपूर्ण (IDF) या रीडिंग डिफेक्टिव (RDF) पाया जाता है, तो 15 दिनों के भीतर इसे बदला जाना आवश्यक होगा।

Kuti prasad 10/03/25

10/03/2025

10/03/25

3. **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.7 (Billing during the period defective/ stuck/ stopped /burnt meter remained at site or stolen meter)** के अनुसार:
   (i) यदि कोई मीटर दोषपूर्ण (IDF), रुका हुआ, जला हुआ, या चोरी हो गया है, तो उपभोक्ता को पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत खपत के आधार पर बिल भेजा जाएगा।
   (ii) यह प्रावधान अधिकतम दो बिलिंग चक्रों तक लागू रहेगा, जिसके भीतर लाइसेंसी को दोषपूर्ण मीटर बदल देना चाहिए।

I. **वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order)** के दर सूची **की धारा 4** के अनुसार:
(i) यदि उपभोक्ता के मीटर में खराबी पाई जाती है (IDF/RDF/NR Meter), तो बिलिंग का निर्धारण पूर्व की औसत खपत के आधार पर किया जाएगा।
   (i) NR (Non-Reading) एवं RDF (Reading Defective) मामलों में, उपभोक्ता के बिल को पिछले एक वर्ष की औसत खपत के आधार पर समायोजित किया जाएगा।
   (ii) NR/RDF/IDF मामलों में अधिकतम दो बिलिंग चक्रों से अधिक बिल नहीं लगाया जा सकता। यदि लाइसेंसी समय पर मीटर बदलने में विफल रहता है, तो आगे की बिलिंग मान्य नहीं होगी।
   (iii) यदि वास्तविक मीटर रीडिंग उपलब्ध हो जाती है, तो समायोजन उसी के अनुसार किया जाएगा।
   (iv) बिजली प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ता पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अधिभार या लेट पेमेंट फीस न लगाई जाए।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्न लिखित आदेश दिया जाता है।

<u>आदेश</u>

शिकायतकर्ता का दावा स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/ विभाग को आदेशित किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा जारी विनियमों का पालन कर परिवादी के बिलों को उपरोकतानुसार संशोधन करना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग 30 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल (Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो

10/03/25	10/03/2025	10/03/25
संतोष भट्ट	(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)	(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193 Ph:-+91 7895754011, 9412139791

E-mail:-cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)विद्युत वितरण खण्ड
उत्तरकाशी 249193

दूरभाष:-917895754011, 9412139791ई–मेल :–cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या:- 278/2024 दिनांक :- 10-03-2025

समक्ष बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य:

1. **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)**
2. **श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)**
3. **श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)**

श्री भीम सिंह राणा,प्रतिनिधि श्री जितवर राणा, ग्राम पंचायत - निसमौर, ब्लॉक- भटवाड़ी, उत्तरकाशी **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियंता,विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी। **विपक्षी**

निर्णय

शिकायतकर्ता श्री भीम सिंह राणा, प्रतिनिधि श्री जितवर राणा , ग्राम पंचायत - निसमौर, ब्लॉक- भटवाड़ी, उत्तरकाशी ने दिनांक 18-02-2025 को विजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखंड में शिकायत पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनके बिजली संयोजन संख्या UK11319003633 है, उक्त संयोजन पर निरंतर **IDF** के बिल जारी किए जा रहे हैं। प्रार्थी ने मंच निवेदन किया है कि **IDF** के बिलों को संशोधन करें।

मंच ने इस शिकायत को परिवाद को पंजीकृत कर को प्रतिवादी/विभाग को दिनांक 18-02-2025 को मंच के समक्ष परिवादी/याचिकाकर्ता की शिकायत निवारण के लिए सुनवाई के दौरान, अपना पक्ष को समस्त तथ्यात्मक विवरण एवं आपत्तियों सहित और समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी/विभाग ने पत्र संख्या पत्रांक 916/ वि०वि० उ० ख० उ० /, दिनांक 2025-02-18 के माध्यम से मंच को सूचित किया कि श्री जितवर सिंह निवासी ग्राम- निसमोर पो०ओ०- भराणगांव, भटवाड़ी, उत्तरकाशी का विद्युत संयोजन सं०-UK11319003633 की Consumer History का अवलोकन करने पर पाया गया है उक्त विद्युत संयोजन पर बकाया धनराशि रू0 152950.00 है। उपभोक्ता का दिनांक 17.01.2008 से 02.01.2015 तक आई०डी०एफ० के आधार पर विद्युत बिल निर्गत किये गये। जिसको कि आज दिनांक 18.02.2025 को मा० मंच के आदेशानुसार उक्त आई०डी०एफ० बिलों को संशोधित कर रू0 2085.00 कर दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया और प्रकरण की समीक्षा की गई। मंच ने पाया कि **याचिकाकर्ता** को निरंतर **IDF** के बिल निर्गत किए गए। प्रतिवादी ने **अपनी गलती स्वीकार** की और **याचिकाकर्ता को जारी किए गए गलत बिलों को संशोधित कर दिया।** याचिकाकर्ता का बिल, जो

Kirti Prasad 10/03/25

10/03/25

10/03/2025

पहले ₹ रू0 152950.00 था, उसे विनियमों के अनुरूप मंच के आदेश अनुसार संशोधित कर रू0 2085.00 कर दिया गया।

प्रतिवादी विभाग द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री का परिशीलन करने पर मंच ने पाया की उपभोक्ता का संविदाकृत भार 1.00 KW kW का घरेलू संयोजन कोटि में दिनांक 01-06-1990 को निर्गत किया गया हे। उपभोक्ता द्वारा विद्युत देयक राशि समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा हे। उपभोक्ता का विद्युत संयोजन कटा हुआ हे। कन्सूमर हिस्ट्री में संयोजन काटने की तिथि अंकित नहीं के गई हे।

सभी प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन और विनियमों का विश्लेषण करने के पश्चात फोरम के अवलोकन एवं निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :-

(i) मंच द्वारा **बिलिंग हिस्ट्री की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि उपभोक्ता को** दिनांक 17-01-2008 से दिनांक 03-02-2017 तक निरंतर **IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी किए गए थे।**

(i) यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 और 2020) के अनुसार, दोषपूर्ण मीटर को प्रतिवादी द्वारा 15 दिनों के भीतर बदला जाना चाहिए था, लेकिन विभाग इसमें असफल रहा। इसके अलावा, दोषपूर्ण मीटर की अवधि के दौरान बिलिंग पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत पर आधारित होनी चाहिए थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी विभाग द्वारा लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक मीटर दोषपूर्ण होने की अवस्था में विभाग उपभोक्ता को बिल प्रेषित नहीं कर सकता हे। शिकायतकर्ता को अनुमोदित दो बिलिंग चक्रों से अधिक समय के लिए गलत तरीके से बिल दिया गया, और समय पर मीटर न बदलने के कारण निरंतर गलत गणना होती रही। विभाग द्वारा विनियमों का उल्लंघन किया गया है, अतः प्रतिवादी/विभाग को **यूईआरसी (UERC) द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार बिल में संशोधन किया जाना न्यायसंगत होगा।** साथ ही, **संशोधित किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या अतिरिक्त अधिभार लगाना भी अनुचित होगा।**

(ii) **बिजली प्रदाता द्वारा इन समायोजनों को लागू करना विनियमों के अनुरूप उचित होगा।**

(iii) चूंकि **प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की समस्या का समाधान कर दिया है**, इसलिए इस मामले को आगे बढ़ाना उचित नहीं है।

(iv) उपभोक्ता द्वारा विद्युत देयक राशि का भी भुगतान नहीं किया गया हे।

उपरोक्त निष्कर्ष उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (UERC) **(विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007, UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020** तथा **वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order)** दर **सूची की धारा 4** पर आधारित हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान लागू होते हैं:

1. **UERC (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 की धारा 3.2** स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि **उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक NR (Non-Reading) / RDF (Reading Defective) / IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी नहीं किए जा सकते।**
2. **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.4 (Meter Not Recording / NR Meter)** के अनुसार:
   (i) यदि मीटर दर्ज नहीं कर रहा है (NR Meter), रुका हुआ है, या उपभोक्ता द्वारा दोषपूर्ण बताया या है, तो लाइसेंसी को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जांच करनी होगी।

(ii) यदि मीटर दोषपूर्ण (IDF) या रीडिंग डिफेक्टिव (RDF) पाया जाता है, तो 15 दिनों के भीतर इसे बदला जाना आवश्यक होगा।

3. **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.7 (Billing during the period defective/ stuck/ stopped /burnt meter remained at site or stolen meter)** के अनुसार:
   (i) यदि कोई मीटर दोषपूर्ण (IDF), रुका हुआ, जला हुआ, या चोरी हो गया है, तो उपभोक्ता को पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत खपत के आधार पर बिल भेजा जाएगा।
   (ii) यह प्रावधान अधिकतम दो बिलिंग चक्रों तक लागू रहेगा, जिसके भीतर लाइसेंसी को दोषपूर्ण मीटर बदल देना चाहिए।

I. **वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order)** के दर सूची **की धारा 4** के अनुसार:
(i) यदि उपभोक्ता के मीटर में खराबी पाई जाती है (IDF/RDF/NR Meter), तो बिलिंग का निर्धारण पूर्व की औसत खपत के आधार पर किया जाएगा।
   (i) NR (Non-Reading) एवं RDF (Reading Defective) मामलों में, उपभोक्ता के बिल को पिछले एक वर्ष की औसत खपत के आधार पर समायोजित किया जाएगा।
   (ii) NR/RDF/IDF मामलों में अधिकतम दो बिलिंग चक्रों से अधिक बिल नहीं लगाया जा सकता। यदि लाइसेंसी समय पर मीटर बदलने में विफल रहता है, तो आगे की बिलिंग मान्य नहीं होगी।
   (iii) यदि वास्तविक मीटर रीडिंग उपलब्ध हो जाती है, तो समायोजन उसी के अनुसार किया जाएगा।
   (iv) बिजली प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ता पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अधिभार या लेट पेमेंट फीस न लगाई जाए।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्नलिखित आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। **प्रतिवादी/विभाग** ने परिवादी की अधिक बिल से संबंधित समस्या का समाधान कर दिया है, इसलिए मामला निस्तारित किया जाता है। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग **30** कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम **(CGRF)** के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल **(Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80** वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो

10/03/25
संतोष भट्ट
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

10/03/2025
(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

10/03/25
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193 Ph:-+91 7895754011, 9412139791

E-mail:-cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)विद्युत वितरण खण्ड
उत्तरकाशी 249193

दूरभाषः-917895754011, 9412139791ई–मेल :–cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या:- 284 /2024 दिनांक **:- 26-03-2025**

समक्ष बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य:

1. **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)**
2. **श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)**
3. **श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)**

श्री सुरेन्द्र, पुत्र जबरू, ग्राम चाँजी तल्ली, घनसाली,टिहरी **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियंता,विद्युत वितरण खंड, टिहरी । **विपक्षी**

निर्णय

श्री सुरेन्द्र पुत्र जबरू ग्राम चाँजी तल्ली, घनसाली,टिहरी ने दिनांक 21-02-2025 को विद्युत **उपभोक्ता शिकायत निवारण** मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित शिविर में आवेदन प्रस्तुत किया, और यह बताया की उनका घरेलू बिजली का कनेक्शन संयोजन संख्या TH-12013067009 है। वो एक गरीब परिवार का व्यक्ति है उनके पास बिजली से चलने वाले कोई उपकरण हैं, ना ही वो विद्युत का अनावश्यक खर्च करता है। जो कि इतना बड़ा बिल विभाग द्वारा दिया गया है। जिसकी धनराशि मैंने कर्ज करके रु0 10 000.00 जमा कर चुका और अभी रुपए 14000 हजार का बिल आ गया है। उपभोक्ता ने मंच से उनकी गरीबी को मध्य नजर रखते हुए बिल माफ करने का निवेदन किया है

मंच ने इस शिकायत को को पंजीकृत कर को **प्रतिवादी/विभाग** को पत्रांक 204/2024 दिनांक 27-02-2025 को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें याचिकाकर्ता की शिकायत निवारण के लिए स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष को समस्त तथ्यात्मक विवरण एवं आपत्तियों सहित और समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया।

दिनांक 10-03-2025 की सुनवाई के दौरान, **प्रतिवादी/विभाग** ने **पत्र संख्या** 1203 /वि०वि० उ०ख०८०/ दिनांक 18-03-2025 के माध्यम से मंच को सूचित किया कि शिकायतकर्ता श्री सुरेन्द्र पुत्र जबरू ग्राम चाँजी तल्ली, संयोजन संख्या TH12013067009 की बिल हिस्ट्री अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का विद्युत बिल मीटर रीडिंग पर आधारित है। शिकायतकर्ता द्वारा समय-समय पर विद्युत बिल जमा नहीं करवाया

गया जिस कारण शिकायतकर्ता का बिल संशोधन योग्य नहीं है। उक्त उपभोक्ता ने 12-03-2024 को 10000.00 रुपए जमा करने के बाद उसका रुपए 13972.00 का बिल बकाया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री एवं लेज़र से यह विदित है कि उपभोक्ता का को दिनांक 25-12-2008 को 1 kW संविदांकृत भार का विद्युत संयोजन संख्या TH12013067009 निर्गत किया गया था।

उपभोक्ता द्वारा विद्युत खपत की देयक राशि का भुगतान समय पर नहीं किया गया, जिसके कारण बकाया राशि में वृद्धि होती गई तथा उस पर विलंब शुल्क अधिभार भी लगता गया। परिणाम स्वरूप विद्युत देयक राशि अधिक हो गई, जिसके लिए उपभोक्ता उत्तरदायी है। उपभोक्ता की विद्युत मापक के त्रुटिपूर्ण होने की आकांक्षा के संदर्भ में मंच का यह मत है कि उपभोक्ता की विद्युत खपत, संविदांकृत भार की तुलना में अधिक नहीं पाई गई है। यदि उपभोक्ता फिर भी असंतुष्ट है, तो वह चेक मीटर लगाने हेतु नियमानुसार शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है। यदि मीटर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो पूर्व के बिलों में नियमानुसार संशोधन किया जाएगा।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत अस्वीकार की जाती है। मामले में निम्न लिखित आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद अस्वीकार **किया जाता है।** निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी **उत्तराखंड विद्युत लोकपाल (Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो।**

26/3/25	26/03/2025	26/03/25
संतोष भट्ट	**भूपेन्द्र सिंह कनेरी**	**कीर्ति प्रसाद भट्ट**
(उपभोक्ता सदस्य)	**(तकनीकी सदस्य)**	**(न्यायिक सदस्य)**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिनः–249193
दूरभाषः–+917895754011, 9412139791
ई–मेल :–Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या–286 / 2024 दिनांकः– 26.03.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थितः श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री छन्छरु पुत्र स्व0 श्री श्यामू, ग्राम करखेडी पो0 अखोडी घनसाली टिहरी। **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड,टिहरी। **विपक्षी**

:: निर्णय ::

परिवादी श्री छन्छरु पुत्र स्व0 श्री श्यामू, ग्राम करखेडी पो0 अखोडी, घनसाली टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक 21.02.2025 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी द्वारा आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या टी0एच022242070995 में विद्युत खपत तो कम है लेकिन बिल अधिक धनराशि के निर्गत किए जा रहे हैं। वर्तमान बिल रु0 22320.00 का है जबकि वह रु0 7000.00 जमा कर चुका है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन पर निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रुप में दर्ज कर अपने पत्रांक संख्या 206 / 2024 / वि0उ0शि0नि0मं उका दिनांक 27.02.2025 के मार्फत नोटिस जारी किया और दिनांक 01.03.2025 तक आख्या पेश करने का निर्देश दिया। विभाग द्वारा आख्या प्राप्त न होने के पर दिनांक 10.03.2025 और 25.03.2025 की सुनवाई को भी विभाग उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन विभाग ने उक्त परिवाद के विषयक मंच को ई–मेल के माध्यम से राजस्व वसूली में व्यस्त होने के कारण मंच के समक्ष उपस्थित होने मे असमर्थता जताते हुए पत्रांक 1195 दिनांक 18.03.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि उक्त संयोजन की कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से यह पाया गया है कि उपभोक्ता का बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किया गया है। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 01.02.2025 को रु0 3000.00 जमा किए गए। वर्तमान में उपभोक्ता पर कुल अवशेष रु0 16150.00 है।

Kirti Prasad
26/03/25 क्रमशः 2............

Bhatt 26/03/25 26/03/2025

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया। उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार उपभोक्ता का 1 कि0वा0 का संविदाकृत भार दिनांक 20.04.2012 को निर्गत किया गया। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 01.02.2025 और 06.01.2020 को क्रमशः 3000.00 और रु0 4000.00 का भुगतान किया गया। उपभोक्ता द्वारा पूर्व में देय राशि का भुगतान न करने पर विद्युत बिल की राशि विद्युत खपत एवं विलम्ब शुल्क अधिभार लगने का कारण बढ़ती गई। उपभोक्ता को बिल समय पर जमा किया जाना आवश्यक है।

मंच ने यह भी देखा गया कि उपभोक्ता की विद्युत खपत उपभोक्ता के संविदाकृत भार 1 कि0वा0 की तुलना में अधिक नहीं है। परिणाम स्वरुप परिवाद अस्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवाद अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर लोकपाल, 80 बंसत विहार के यहां अपील कर सकते हैं। पत्रवाली दाखिल दफ्तर हो। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

26/03/25	26/03/2025	26/03/25
(संतोष भट्ट)	(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)	(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिनः–249193
दूरभाषः–+917895754011, 9412139791
ई–मेल :–Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या–296/2024 दिनांकः– 27.03.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थितः श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मोहन लाल, ग्राम अंथवाल गांव पो. अखोडी टिहरी। **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी। **विपक्षी**

:: निर्णय ::

परिवादी श्री मोहन लाल, ग्राम अंथवाल गांव पो. अखोडी टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक–21/02/2025 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित अखोडी शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उन्हें विद्युत संयोजन संख्या टी0एच12343065383 पर निर्गत बिल समय पर नहीं मिल पाते हैं जिस कारण बिल पर ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उनके उक्त संयोजन पर निर्गत बिल समय पर उन्हें प्राप्त हों और उक्त संयोजन पर उनके मो0नं0 8054871482 को दर्ज करावाया जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रुप में दर्ज किया गया। साथ ही शिविर के दौरान उपस्थित विपक्षी/विभाग को दिनांक 01.03.2025 की सुनवाई के दौरान विभागीय आख्या पेश करने हेतु कहा गया।

उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रस्तुत परिवाद में परिवादी ने अपने विद्युत संयोजन संख्या टी0एच12343065383, जो मोहन लाल के नाम से दर्ज है। परिवादी ने अपने विद्युत संयोजन पर मोबाइल नम्बर 8054871482 को दर्ज करने का अनुरोध किया था, जिसे विपक्षी ने दर्ज कर इसकी लिखित सूचना मंच को तथा मौखिक सूचना परिवादी को दे दी है।

Kirti prasad 27/03/25

S bhatt 27/3/25 27/03/2025

क्रमशः 2............

मंच द्वारा इस संबंध में परिवादी से मो0 नम्बर दर्ज होने की पुष्टि की गई तो उन्होंने विपक्षी की कार्यवाही पर सहमति जताई है। ऐसे में मंच का मत है कि परिवादी के बिलों की सूचना आगे से उक्त मो0 नम्बर पर दी जाए, ताकि परिवादी समय पर ऑनलाईन बिल का भुगतान कर सके।

प्रस्तुत मामले में विपक्षी ने परिवादी की मोबाइल नम्बर संबंधी समस्या का समाधान कर दिए जाने पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी / विभाग ने परिवादी की मोबाइल नम्बर दर्ज करने संबंधी समस्या का समाधान कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/03/25	27/03/2025	27/03/25
(संतोष भट्ट)	(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)	(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division, Uttarkashi – 249193 Ph:-+91 7895754011, 9412139791

E-mail:-cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी 249193

दूरभाषः-917895754011, 9412139791ई–मेल :–cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या:- 300/2025 दिनांक **:- 26-03-2025**

समक्ष बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य:

1. **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)**
2. **श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)**
3. **श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)**

श्री अनिल पुत्र **वसन्तु**, ग्राम **अन्थवाल** गांव, घनसाली, टिहरी, **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियंता,विद्युत वितरण खंड, टिहरी। **विपक्षी**

निर्णय

श्री अनिल पुत्र **वसन्तु**, ग्राम **अन्थवाल** गांव, घनसाली, टिहरी, **ने** को **विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण** मंच, उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 21/02/2025 को आयोजित शिविर में आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनके **बिजली संयोजन** संख्या TH 12343120730 है, **उनके** मीटर का बिल पहले 8 हजार आया और तुरंत 13 हजार, फिर 21 हजार हो गया। जिसको भरने में गरीब व्यक्ति इतने बिल भरने में असमर्थ हूँ। प्रार्थी ने मंच निवेदन किया है उसका बिल कम किया जाए।

मंच ने इस शिकायत को परिवाद के रुप में पंजीकृत कर **प्रतिवादी/विभाग** को नोटिस जारी किया, और शिकायत निवारण के लिए स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष को समस्त तथ्यात्मक विवरण एवं आपत्तियों सहित और समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया।

दिनांक 10-03-2025 **की** सुनवाई के दौरान, **प्रतिवादी/विभाग** ने **पत्र संख्या** 1191 /वि०वि० उ०ख०ट०/ दिनांक 18-03-2025 **के माध्यम से मंच को** सूचित **किया कि** शिकायतकर्ता श्री अनिल ग्राम **अन्थवाल गांव** घनसाली संयोजन संख्या TH12343120730 की बिल हिस्ट्री अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का विद्युत बिल मीटर रीडिंग पर आधारित है। **परिवादी** द्वारा समय-समय पर विद्युत बिल जमा नहीं करवाया गया जिस कारण **परिवादी** का बिल **बढ़** गया। **इस आधार पर परिवादी** का

Sbhatt 26/03/25   26/03/2025   Kirti prasad 26/03/25

बिल संशोधन योग्य नहीं है। **साथ ही परिवादी** ने 12-03-2024 को 10000 रुपए जमा करने के बाद **अब बिल** रुपए 11211.00 का बिल बकाया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत **की** गई उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री एवं लेज़र से यह विदित है कि उपभोक्ता को दिनांक 03-09-1992 को 1 kW संविदांकृत भार का विद्युत संयोजन संख्या TH12343120730 निर्गत किया गया था।

उपभोक्ता द्वारा वर्ष 2008 के उपरांत विद्युत खपत की देयक राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण बकाया राशि में वृद्धि होती गई तथा उस पर विलंब शुल्क अधिभार भी लगता गया, जिसके लिए उपभोक्ता उत्तरदायी है। उपभोक्ता की विद्युत मापक के त्रुटिपूर्ण होने की शिकायत के संदर्भ में मंच का यह मत है कि उपभोक्ता की विद्युत खपत, संविदांकृत भार की तुलना में अधिक नहीं पाई गई है। यदि उपभोक्ता फिर भी असंतुष्ट है, तो वह चेक मीटर लगाने हेतु नियमानुसार शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है। यदि मीटर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो पूर्व के बिलों में नियमानुसार संशोधन किया जाएगा।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत अस्वीकार की जाती है। मामले में निम्न लिखित आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद **अस्वीकार किया जाता है। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल (Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो**

26/03/25 26/03/2025 26/03/25

संतोष भट्ट	**भूपेन्द्र सिंह कनेरी**	**कीर्ति प्रसाद भट्ट**
(उपभोक्ता सदस्य)	**(तकनीकी सदस्य)**	**(न्यायिक सदस्य)**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193 Ph:-+91 7895754011, 9412139791

E-mail:-cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)विद्युत वितरण खण्ड
उत्तरकाशी 249193

दूरभाष:-917895754011,
9412139791ई–मेल
:–cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या:- 303/2024 दिनांक **:- 27-03-2025**

समक्ष बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य:

1. **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)**
2. **श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)**
3. **श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)**

श्री अनिल डंगवाल ,पुत्र श्री महेशानन्द, ग्राम पो० ओ० **मैगाधार**, टिहरी **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियंता,विद्युत वितरण खंड, टिहरी । **विपक्षी**

निर्णय

श्री अनिल डंगवाल पिता **श्री** महेशानन्द, ग्राम पो० ओ० **मैगाधार टिहरी** संयोजन संख्या TH12329040922 जो की स्व. लोकानन्द डंगवाल के नाम पर निर्गत **है**। ने विद्युत **उपभोक्ता शिकायत निवारण** मंच, उत्तरकाशी से दिनांक 21-02-2025 को आयोजित शिविर में आवेदन दिया और यह बताया की विगत कई सालों से उनका मीटर खराब हैं, तहत वो बिल भरने के लिये तैयार है । इसके अतिरिक्त याचिककर्ता इस कनेक्शन को PD करना चाहता है और मंच से उनका बिल संशोदन करने का निवेदन किया है।

मंच ने इस शिकायत को को पंजीकृत कर **प्रतिवादी/विभाग** को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें मंच के समक्ष याचिकाकर्ता की शिकायत निवारण के लिए स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष को समस्त तथ्यात्मक विवरण एवं आपत्तियों सहित और समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया।

दिनांक 10-03-2025 की सुनवाई के दौरान, **प्रतिवादी/विभाग** ने **पत्र संख्या** 1192/वि०वि० उ०ख०ट०/ दिनांक 18-03-2025 **के माध्यम से मंच को सूचित किया कि** शिकायतकर्ता श्री अनिल डंगवाल ग्राम मैगाधार घनसाली संयोजन संख्या TH12329040922 उपभोक्ता कीं बिल हिस्ट्री अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का विद्युत बिल मीटर रीडिंग पर आधारित है। शिकायतकर्ता द्वारा समय-समय पर विद्युत बिल जमा नहीं करवाया गया जिस कारण शिकायतकर्ता का बिल

संशोधन योग्य नहीं है। उक्त उपभोक्ता 11188.00 का बिल बकाया है। उक्त संयोजन की पूर्ण धनराशि जमा करने के बाद ही विद्युत संयोजन विच्छेदन किया जाना सम्भव हो पायेगा।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री एवं लेज़र से यह विदित है कि उपभोक्ता का को दिनांक 03-09-1992 को 1 kW संविदांकृत भार का विद्युत संयोजन संख्या TH12329040922 निर्गत किया गया था।

उपभोक्ता द्वारा वर्ष 2008 के उपरांत विद्युत खपत की देयक राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण बकाया राशि में वृद्धि होती गई तथा उस पर विलंब शुल्क अधिभार भी लगता गया, जिसके लिए उपभोक्ता उत्तरदायी है। उपभोक्ता द्वारा अपनी विद्युत देयक राशि का भुगतान करने के उपरांत ही संयोजन PD कराने के लिए आवेदन कर सकता हे।

उपभोक्ता की विद्युत मापक के त्रुटिपूर्ण होने की शिकायत के संदर्भ में मंच का यह मत है कि उपभोक्ता की विद्युत खपत, संविदांकृत भार की तुलना में अधिक नहीं पाई गई है। यदि उपभोक्ता फिर भी असंतुष्ट है, तो वह चेक मीटर लगाने हेतु नियमानुसार शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है। यदि मीटर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो पूर्व के बिलों में नियमानुसार संशोधन किया जाएगा।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत अस्वीकार की जाती है। मामले में निम्न लिखित आदेश दिया जाता है।

<u>आदेश</u>

शिकायतकर्ता का दावा अ**स्वीकार किया जाता है**। परिवादी यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं **है तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल (Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो।**

27/3/25	27/02/2025	27/03/25
संतोष भट्ट	**भूपेन्द्र सिंह कनेरी**	**कीर्ति प्रसाद भट्ट**
(उपभोक्ता सदस्य)	**(तकनीकी सदस्य)**	**(न्यायिक सदस्य)**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:–249193
दूरभाष:–+917895754011, 9412139791
ई–मेल :–Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या–309 / 2024 दिनांक:– 24.03.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री अतोल सिंह रावत पुत्र श्री तेजपाल सिंह, ग्राम बनकोट। चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी। विपक्षी

:: निर्णय ::

शिकायतकर्ता श्री अतोल सिंह रावत, पुत्र श्री तेज पाल सिंह रावत, ग्राम बनकोट, चिन्यालीसौड़,उत्तरकाशी ने दिनांक 22–02–2025 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी में याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बिजली संयोजन संख्या UK24146415228 में बिल पहले गलत नाम से आया करता था जिसमें किसी अन्य उपभोक्ता के नाम से विभाग ने बिल जारी किया। उन्होंने समय पर विभाग को सूचित कर सही नाम से बिल जारी करने का अनुरोध किया। अब सही नाम से बिल आया है, लेकिन अत्यधिक राशि दर्शाई गई है। नए बिल में पुरानी गलतियों के कारण अधिक शुल्क जोड़ा गया है। प्रार्थी ने इस अधिक बिल राशि को लेकर आपत्ति जताई है और मंच से निवेदन किया है कि पूर्व गलत बिल के कारण बढ़ी हुई राशि को समायोजित कर सही बिल जारी किए जाएं।

मंच ने इस शिकायत को पंजीकृत कर प्रतिवादी / विभाग को पत्रांक 794–2024 दिनांक 24–02–2025 को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें दिनांक 11–03–2025 को मंच के समक्ष याचिकाकर्ता की शिकायत निवारण के लिए स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरण एवं आपत्तियों सहित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी विभाग ने पत्र संख्या 63A, दिनांक 10–03–2025 के माध्यम से सुनवाई के दौरान मंच को अवगत कराया कि मंच द्वारा दिए गए आदेशानुसार उपभोक्ता श्री अतोल सिंह रावत के आईडीएफ बिल में संशोधन कर दिया गया है। आईडीएफ बिल की राशि ₹54,227.00 को संशोधित कर ₹48,890.12 खंड कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है।

Bhatt 24/03/25 24/03/2025 Kirti prasad 24/03/25

सभी प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन और विनियमों का विश्लेषण करने के पश्चात मंच के अवलोकन एवं निष्कर्ष निम्न हैं :-

(i) उपभोक्ता की कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार, उपभोक्ता की विद्युत सुविधा का स्वीकृत भार 1 kW का घरेलू संयोजन में 20-03-2004 को निर्गत किया गया था। उपभोक्ता ने बिजली खपत की देय राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि अत्यधिक बढ़ गई। समय पर बकाया भुगतान न करने के कारण विलंब शुल्क (Late Fee) जुड़ता गया, जिससे उपभोक्ता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा। जिसके लिए उपभोक्ता जिम्मेदार हे।

(ii) मंच द्वारा बिलिंग हिस्ट्री की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि उपभोक्ता को दिनांक 15-02-2012 से दिनांक 15-10-2017 तक IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी किए गए थे।

(iii) यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 और 2020) के अनुसार, दोषपूर्ण मीटर को प्रतिवादी द्वारा 15 दिनों के भीतर बदला जाना चाहिए था, लेकिन विभाग इसमें असफल रहा। इसके अलावा, दोषपूर्ण मीटर की अवधि के दौरान बिलिंग पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत पर आधारित होनी चाहिए थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी विभाग द्वारा लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक मीटर दोषपूर्ण होने की अवस्था में विभाग उपभोक्ता को बिल प्रेषित नहीं कर सकता हे। शिकायतकर्ता को अनुमोदित दो बिलिंग चक्रों से अधिक समय के लिए गलत तरीके से बिल दिया गया, और समय पर मीटर न बदलने के कारण निरंतर गलत गणना होती रही। विभाग द्वारा विनियमों का उल्लंघन किया गया है,

(iv) उपरोक्त विनियमों के अनुसार उपभोक्ता के दिनांक 15-02-2012और दिनांक 16-04-2012 के बिलों को उपभोक्ता के पूर्व में निर्गत किए गए तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधन और दिनांक 15-06-2012 से दिनांक 15-10-2017 तक के बिलों को निरस्त करना न्यायोचित है।

(v) हालांकि, प्रतिवादी/विभाग ने पत्र संख्या 63A, दिनांक 10-03-2025 के माध्यम से मंच द्वारा दिए गए आदेशानुसार उपभोक्ता श्री अतोल सिंह रावत के आईडीएफ बिल संशोधित बिल कर खंड कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर दिया है।

(vi) अतः प्रतिवादी/विभाग को यूईआरसी (UERC) द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार बिल में संशोधन किया जाना न्यायसंगत होगा। साथ ही, संशोधित किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या अतिरिक्त अधिभार लगाना भी अनुचित होगा।

उपरोक्त निष्कर्ष उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (UERC) द्वारा जारी विनियमों पर आधारित हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान लागू होते हैं:

1. UERC (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 की धारा 3.2 स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक NR (Non-Reading) / RDF (Reading Defective) / IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी नहीं किए जा सकते हैं।
2. UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.4 (Meter Not Recording / NR Meter) के अनुसार:
   (i) यदि मीटर दर्ज नहीं कर रहा है (NR Meter), रुका हुआ है, या उपभोक्ता द्वारा दोषपूर्ण बताया या है, तो लाइसेंसी को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जांच करनी होगी।

24/03/25 24/03/2025 24/03/25

(ii) यदि मीटर दोषपूर्ण (IDF) या रीडिंग डिफेक्टिव (RDF) पाया जाता है, तो 15 दिनों के भीतर इसे बदला जाना आवश्यक होगा।

3. UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.7 (Billing during the period defective/ stuck/ stopped /burnt meter remained at site or stolen meter) के अनुसार:

(i) यदि कोई मीटर दोषपूर्ण (IDF), रुका हुआ, जला हुआ, या चोरी हो गया है, तो उपभोक्ता को पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत खपत के आधार पर बिल भेजा जाएगा।

(ii) यह प्रावधान अधिकतम दो बिलिंग चक्रों तक लागू रहेगा, जिसके भीतर लाइसेंसी को दोषपूर्ण मीटर बदल देना चाहिए।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्न लिखित आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/ विभाग को आदेशित किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा जारी विनियमों का पालन कर परिवादी के बिलों को उपरोक्तानुसार संशोधन करना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग 30 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल (Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो

24/03/25
(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

24/03/2025
(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य

24/03/25
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी